# महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की वर्ष 2010–11 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

———

देश के बच्चें व महिलाएं वस्तुतः देश का अधिक मुल्यवान संसाधान होते है और हमारे विकास की प्रक्रिया बच्चों व महिलाओं के समेकित विकास पर आधारित है। महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के समुचित विकास के लिए कई योजनाएं लागू की है तथा बहुत कम समय में बहुत उपलब्धियां प्राप्त की है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

## बजट व्यवस्था

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा के वर्ष 2010–11 के मूल बजट में कुल 48232.04 लाख रू0 की राशि की व्यवस्था की गई, जिसमें से 16395.00 लाख रू0 स्टेट प्लान, 25824.85 लाख रू0 सैन्ट्रल प्लान तथा 6012.19 लाख रू0 नान प्लान शीर्षो के अन्तर्गत रखे गये। विभाग का संशोधित बजट 45482.82 लाख रू0 था, इसमें से 17983.59 लाख रू0 स्टेट प्लान 21616.60 लाख रू0 सैन्ट्रल प्लान तथा 5882.63 लाख रू0 नान प्लान शीर्षों के अन्तर्गत रखे गए। वर्ष 2010–11 में स्टेट प्लान के अन्तर्गत 14871.20 लाख रू0, सैन्ट्रल प्लान के अंर्तगत 16341.93 लाख रू0 तथा नॉन प्लान के अन्तर्गत 5529.91 लाख रू0 अर्थात कुल 36743.44 लाख रू0 विभिन्न योजनाओं पर व्यय किए गए। वर्ष 2010–11 के दौरान बजट व्यवस्था एवं व्यय विवरण परिशिष्ट 'क' पर दिया गया है। विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है :–

## 1– लाडली

इस योजना के अन्तर्गत परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता–पिता को 5000/–रू0 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक दिए जाते हैं। हरियाणा के निवासी/अधिवासी सभी माता–पिता, जिनकी दूसरी बेटी 20–8–2005 को या इसके बाद पैदा हुई है, बिना किसी जाति/समुदाय/धर्म/आय एवं बेटों की संख्या के भेदभाव के, इस नकद प्रोत्साहन के पात्र हैं। इस राशि को दूसरी बेटी के नाम माता/पिता/संरक्षक के माध्यम से 'किसान विकास पत्रों' में निवेश किया जाता है तथा परिपक्व राशि छोटी बेटी की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने एवं अविवाहित रहने पर वर्तमान ब्याज दरों पर लगभग 96000/–रू0 दी जाएगी।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में 4578.76 लाख रू0 की राशि व्यय की गई तथा 129261 परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया गया जिसमे पिछले वर्षो 105113 के लाभपात्रों को दी गई किस्तें भी शामिल हैं ।

## 2– समेकित बाल विकास सेवाएं योजना

केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अन्तर्गत राज्य में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं तथा 15–45 वर्ष आयु की अन्य महिलाओं को पूरक

पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भित सेवाएं, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा की सेवाऐं समेकित रूप से प्रदान की जाती हैं।

इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैः–

- 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की पोषण तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना।
- बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना।
- मृत्युत्ता, मानसिक अस्वस्थता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी करना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन में प्रभावकारी समन्वय करना।
- उचित पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोष्टिक आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं को योग्य बनाना।

आई. सी. डी. एस. परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या का जिलावार व्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

| जिला | आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्टों की संख्या | स्वीकृत आगंनवाड़ी केन्द्रों की संख्या | चालू आगंनवाड़ी केन्द्रों की संख्या |
|---|---|---|---|
| अम्बाला | 7 | 1218 | 1115 |
| जीन्द | 8 | 1439 | 1055 |
| भिवानी | 11 | 1915 | 1886 |
| हिसार | 11 | 1742 | 1259 |
| करनाल | 7 | 1482 | 1429 |
| नारनौल | 6 | 1167 | 760 |
| गुड़गांव | 4 | 1009 | 962 |
| फरीदाबाद | 8 | 1294 | 1239 |
| रोहतक | 6 | 999 | 762 |
| कुरूक्षेत्र | 6 | 1075 | 1054 |
| सोनीपत | 8 | 1479 | 1057 |
| सिरसा | 8 | 1344 | 866 |
| यमुनानगर | 7 | 1250 | 1163 |
| रेवाड़ी | 6 | 1101 | 1047 |
| पानीपत | 6 | 1032 | 960 |
| कैथल | 7 | 1264 | 1233 |
| पंचकूला | 4 | 534 | 534 |
| फतेहाबाद | 6 | 1055 | 711 |
| झज्जर | 6 | 1084 | 772 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| मेवात | 6 | 1108 | 772 |
| पलवल | 5 | 1108 | 1033 |
| कुल | 140 | 25699 | 21669 |

जिलावार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के स्वीकृत एवं भरे हुए पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

(मार्च, 2011 की स्थिति)

| क्र.स. | जिला का नाम | आंगनवाड़ी कार्यकर्ता | | आंगनवाड़ी सहायिका | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत पद | भरे हुए पद | स्वीकृत पद | भरे हुए पद |
| 1. | अम्बाला | 1218 | 1115 | 1173 | 1034 |
| 2. | भिवानी | 1915 | 1886 | 1883 | 1852 |
| 3. | फरीदाबाद | 1294 | 1239 | 1279 | 1216 |
| 4. | गुड़गांव | 1009 | 962 | 1000 | 756 |
| 5. | हिसार | 1742 | 1259 | 1722 | 1219 |
| 6. | जीन्द | 1439 | 1055 | 1434 | 1051 |
| 7. | कुरूक्षेत्र | 1075 | 1054 | 1044 | 1005 |
| 8. | करनाल | 1482 | 1429 | 1457 | 1399 |
| 9. | नारनौल | 1167 | 760 | 1161 | 743 |
| 10. | पानीपत | 1032 | 960 | 1027 | 927 |
| 11. | पंचकुला | 534 | 534 | 401 | 384 |
| 12. | रोहतक | 999 | 762 | 995 | 743 |
| 13. | रेवाड़ी | 1101 | 1047 | 1084 | 1048 |
| 14. | सोनीपत | 1479 | 1057 | 1477 | 1043 |
| 15. | सिरसा | 1344 | 866 | 1313 | 854 |
| 16. | यमुनानगर | 1250 | 1163 | 1214 | 1156 |
| 17. | फतेहाबाद | 1055 | 711 | 1038 | 686 |
| 18. | झज्जर | 1084 | 772 | 1077 | 783 |
| 19. | कैथल | 1264 | 1233 | 1242 | 1205 |
| 20 | मेवात | 1108 | 772 | 1078 | 779 |
| 21 | पलवल | 1108 | 1033 | 1088 | 996 |
| | कुल | 25699 | 21669 | 25187 | 20879 |

राज्य की 140 परियोजनाओं में 21669 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 921203 छः मास से छः वर्ष आयु तक के बच्चों जिसमें 430434 लड़कियां हैं, को तथा 130040 गर्भवती महिलाओं एवं 143821 दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार दिया गया।

भारत सरकार द्वारा 1.4.2005 से राज्य सरकारों को पूरक पोषाहार के लिए वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देने का निर्णय लिया गया, जोकि अनुमोदित नारमज एवं वर्ष में पूरक पोषाहार देने के दिनों पर आधारित होगा। इस वित्त वर्ष में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय स्तर में पूरक पोषाहार के मद में 11108.89 लाख रु0 की राशि व्यय की गई।

**I.** आई.सी.डी.एस. योजना के अंतर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम

राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकता आई0सी0डी0एस0 लाभ पात्रों को गुणात्मक पोषाहार प्रदान कर पोषाहर स्तर को सुधारना है। राज्य सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम मे भारी बदलाव लाया गया है। राज्य सरकार द्वारा पूरक पोषाहार जिसमें निर्धारित नोर्मज के अनुसार ओस्त पोषक तत्व महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए 600 कैलोरिज एवं 18–20 ग्राम प्रोटीन, बच्चों के लिए 500 कैलोरिज एवं 12–15 ग्राम प्रोटीन, तथा अति कुपोषित बच्चों के लिए 800 कैलोरिज एवं 20–25 ग्राम प्रोटीन, 5/–रू0 की दर से प्रति गर्भवती व दूध पिलाने वाली माता एवं किशोरी बालिकाओं को, 4/–रू0 की दर से प्रति बच्चा एवं 6 रू0/– की दर से प्रति अति कुपोषित बच्चे को प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 6 मास से 6 वर्ष आयु तक के 11.01 लाख बच्चों तथा 3.20 लाख गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार व अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

**II.** आंगनवाड़ी केन्द्रों में सामाग्री

- 10,000 आंगनवाड़ियों मे 12.12 करोड़ रु0 की राशि आई0सी0डी0एस0 स्कीम के तहत राज्य फण्ड से रंगदार व आकर्षक मेज व कुर्सियां उपलब्ध करवाई गई है।
- आंगनवाडी केन्द्रों मे विभिन्न आयु के बच्चों मे उनकी सीखने की निपुणता के विकास के लिए 3.66 करोड़ रु0 की राशि की रंगदार व आकर्षक अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा किट सप्लाई की गई है।
- 17444 आंगनवाड़ी केन्द्रों में लाभपात्रों के लिये प्रति वर्ष 1.03 रू0 प्रति आंगनवाड़ी की दर से दवाईयों की खरीद की जाती है।
- राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 2000 झूले प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र मे उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। अब तक 9500 आंगनवाडी केन्द्रों मे 6.53 करोड़ रु0 की राशि से झूले उपलब्ध करवाए गए हैं।

**iii** पूरक पोषाहार कार्यक्रम को लागू करने के लिए नए कदम

एक मुख्य पहल के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम को लागू करने के लिए भारत सरकार से Wheat Based Nutrition Programme (WBNP) के तहत अनाज की खरीद सस्ती दरों पर की जा रही है। यह अनाज आंगनवाडी केन्द्रों मे कन्फड तथा हैफेड के माध्यम से सप्लाई किया जा रहे है।

सस्ती दरों पर अनाज की खरीद बच्चों, गर्भवती दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर मे सुधार लाऐगा। हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान लागू की गई नई व आकर्षक रैस्पीज जैसे की आलू पूरी, भरवां परांठा तथा गुलगले लागू की गई है । एक तरफ यह कदम आंगनवाडियों मे अधिक बच्चों को आकर्षित करेगा, वहीं दूसरी तरफ लाभ पात्रों के पोषण स्तर को भी बढ़ाने मे मदद करेगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिन में दो बार (Morning Snacks and Regular Hot Cooked Meal) दिया जा रहा है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को Take Home Ration (THR) दिया जा रहा है। कार्यक्रम में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों को आंगनवाड़ी केन्द्रों में ही स्टोर करना एवं बनाया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है ।

राज्य सरकार द्वारा सभी आंगनवाडी केन्द्रों मे खाना बनाने के साथ–साथ खाना वितरित करने के बर्तन उपलब्ध करवाऐं गए हैं। वर्ष 2010–11 मे 7729 आंगनवाडी केन्द्रों मे 2.32 करोड रु0 की राशि के गैस के चूल्हें उपलब्ध करवाये गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ का मानदेय 1500/–रू0 से बढ़ाकर 2000 /–रू0 प्रतिमाह एवं हैल्परो का मानदेय 750/–रू0 से बढ़ाकर 1000/–रू0 कर दिया गया है , अब आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को 5000/–रू0 प्रतिमाह की दर से दिये जाते हैं (2700 रू0 केन्द्रीय हिस्सा एवं 300 रू0 राज्य हिस्सा जो कि 90:10 के अनुपात में है इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 2000 रू0 प्रतिमाह ) आंगनवाड़ी हैल्परो को 2500 रू0 प्रतिमाह की दर से दिये जाते हैं (केन्द्र और राज्य सरकार का 90:10 के अनुपात में 1500 रू0 और 1000 रू0 राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हैल्परों की सेवानिवृति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है । भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को युनिफार्म (दो साड़ियों के 200 रू0 प्रति माह की दर से) एवं 25 रू0 प्रतिवर्ष बैज हेतू देने का प्रावधान रखा गया है ।

3–6 वर्ष के आगंनवाड़ियों के 408449 बच्चों को पोलियो, 408449 बच्चों को डी.पी.टी, 415158 बच्चों को बी.सी.जी. 441838 बच्चों को मीज़ल के टीके तथा 392945 गर्भवती महिलाओं को टी.टी. के टीके लगवाए गए। वर्ष के दौरान 355069 बच्चों को अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया गया।

**iv** ग्राम स्तरीय कमेटी

आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम का विकेन्द्रीयकरण कर इसे समुदाय द्वारा संचालित किया जाने वाला कार्यक्रम बनाया गया। हरियाणा सरकार द्वारा बच्चों एवं महिलाओं के विकास के कार्यक्रमों को सुविधा पूर्वक लागू करने के लिए महिला–समितियों का गठन किया गया। इस कमेटी में गांव की महिला सरपंच, सभी महिला पंच, महिला अध्यापिका, मल्टीपरपज हैल्थ वर्कर, महिला मण्डल की प्रधान, गांव के सभी स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष या प्रधान, सभी आशा, युद्व विधवायें, साक्षर महिला समूह की प्रधान व समूह की 3 सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी किशोरियां, गैर सरकारी संस्थाओं के अध्यक्ष, गांव का चौकीदार

तथा सभी आंगनवाड़ी वर्कर इसके सदस्य बनाए गए और इसे हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के सैक्शन 22 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की उप समिति घोषित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा किये गये कार्यो के निर्वहन के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करने हेतु इन समितियों द्वारा अपने बैंक खाते खुलवाए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पंचायतों को सौंपे गये महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन इस समिति द्वारा किये गया, जिसमें आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं उनकी गतिविधियों का निरीक्षण, आंगनवाड़ी स्टाफ को मानदेय की अदायगी व आंगनवाड़ी कार्यकताओं तथा हैल्परों की नियुक्ति के कार्य को शामिल किया गया। वर्ष 2010–11 में योजना के तहत 118.00 लाख रू0 व्यय किए गए, तथा 6033 ग्राम स्तरीय कमेटियों का गठन किया गया।

**v** साक्षर महिला समूह

राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत व इसकी उप समिति को सौंपे गए कार्यो के प्रभावी–निर्वहन में आवश्यक सहायता देने के लिए प्रत्येक गांव में शिक्षित महिलाओं का एक समूह ''साक्षर महिला समूह'' का गठन किया गया। गांव में उप समिति द्वारा सभी शिक्षित महिलाओं को संगठित कर उनका नामांकन किया गया, जिसमें गांव की कम से कम मैट्रिक पास प्रत्येक महिला एवं +2 स्तर में पढ़ रही प्रत्येक बालिका व किशोरी शक्ति योजना के बालिका मंडल की पूर्व सदस्याएं इसकी अनिवार्य सदस्या होंगी। साक्षर महिला समूह गांव में मुख्य मुद्दे जैसा कि लिंग अनुपात, साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा का सर्वभौमीकरण, स्वास्थ्य तथा पोषाहार शिक्षण, महिलाओं को आर्थिक सशिक्तकरण के अवसर, स्वच्छता एवं सफाई, पर्यावरण व सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं व बालिकाओं एवं बच्चों व ग्रामीण समुदाय के विकास की योजनाओं आदि के बारे चेतना जागृित करता है। इस वर्ष में 6279 साक्षर महिला समूह रजिस्ट्र्ड करवाए गए एवं 113.30 लाख रू0 व्यय किए गए।

vi राष्ट्रीय महिला कोष के सहयोग से एस0एम0एस0 के माध्यम से लधु ऋण।

राष्ट्रीय महिला कोष ने राज्य में लघु ऋणों को बढ़ावा देने एवं इसके सदस्यों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से साक्षर महिला समूहों को एक योग्य गैर सरकारी संगठन के रुप में मान्यता प्रदान की है । इस सम्बंध में हरियाणा महिला विकास निगम को एक नोडल ऐजेंसी बनाया गया है। इस बारे में 3 जनवरी, 2007 को राष्ट्रीय महिला कोष एवं हरियाणा महिला विकास निगम के मध्य एक समझोते पर हस्ताक्षर किये गए हैं। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा लघुऋण योजना चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत निगम राष्ट्रीय महिला कोष से 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर पर ऋण प्राप्त कर स्वयं सहायता समूहों को लघु ऋण 5 प्रतिशत की ब्याजदर पर प्रदान करता है तथा शेष 3 प्रतिशत ब्याज निगम वहन करेगा। इस योजना के अन्तर्गत 42 स्वयं सहायता समूहों को कवर करने के लक्ष्य के विरुध मार्च, 2011 तक 200 लाख रु0 की वित्तीय सहायता से 39 स्वयं सहायता समूहों को कवर किया गया है।

**vii** दिवस एवं सप्ताह

वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य में स्तनपान सप्ताह, राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह, बाल दिवस एवं अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि मनाए गए। इन अवसरों पर महिलाओं में बच्चों एवं महिलाओं के विषयों पर जागृति लाने के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न प्रकार

की गतिविधियां आयोजित की गई। खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड भारत सरकार चण्डीगढ़ इकाई द्वारा आयोजित वर्कशाप/कार्यक्रमों में विभाग के अधिकारियों द्वारा भी भाग लिया गया।

अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2011 को 'बालिका सम्मान दिवस' समारोह हरियाणा निवास, चण्डीगढ़ में मनाया गया जिसमें राज्य की विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त करने वाली 67 महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सम्मानित किया गया।

**viii**. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कार

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने एवं उनके स्वैच्छिक कार्य को मान्यता देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनकी लगन एवं अनुकरणीय उपलब्धियों के आधार पर वार्षिक पुरस्कार दिये जाते हैं। इसके अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 2500/–रू0 का राज्य स्तरीय पुरस्कार तथा 25000/–रू0 का राष्ट्रीय पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान है। अतः वर्ष 2010–11 में 5000/–रू0 की दर से 19 प्रोजैक्टों की 26 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए गए,

इन 26 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पुरस्कारों के लिए चयन एक प्रतियोगी परीक्षा एवं उनकी उपलब्धियों एवं योगदान के आधार पर किया गया तथा इसमें 3 कार्यकर्ताओं श्रीमति प्रतिभा, पंचकूला, श्रीमति सुमन, झज्जर, तथा श्रीमति सुनिता, कुरूक्षेत्र का मैरिट आधार पर चयन किया गया, जिनके नाम भारत सरकार को राष्ट्रीय पुरस्कार हेतू भेजे गए। इस योजना के अन्तर्गत 1.49 लाख रू0 की राशि राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए स्वीकृत की गई, जिसमें से 1.30 लाख रू0 पुरस्कारों के रूप में तथा 19,000/– रू0 जिला स्तर पर पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजनो पर व्यय किये गये।

**ix** आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत व्यय

वर्ष 2010–11 के दौरान आई.सी.डी.एस. योजना पर राज्य स्तर एवं केन्द्र स्तर में किए गए व्यय का विवरण निम्न प्रकार हैः– (लाख रू0 में)

| योजना | स्टेट प्लान | सैन्ट्रल प्लान | नॉन प्लान | कुल |
|---|---|---|---|---|
| आई.सी.डी.एस. | 2398.19 | 10584.05 | 4368.80 | 17351.04 |
| पूरक पोषाहार | 5503.38 | 5503.38 | 102.13 | 11108.89 |
| कुल | 7901.57 | 16087.43 | 4470.93 | 28459.93 |

**x** <u>पंजीरी प्लांट</u>

राज्य में 2 पंजीरी प्लांट गुड़गांव तथा घरौण्डा में चलाये जा रहे हैं जिनमें समेकित बाल विकास सेवायें योजना के लाभपात्रों के लिए पोष्टिक पंजीरी तैयार की जाती है। इन पंजीरी प्लांटों में वर्ष 2010–11 में कुल 18568.43 क्विंटल पंजीरी का उत्पादन किया गया।

पंजीरी प्लांट गुड़गांव में 8785.33 क्विंटल पंजीरी का उत्पादन तथा घरौण्डा में 9772.90 क्विंटल पंजीरी का उत्पादन किया गया। वर्ष 2010–11 में पंजीरी प्लांट,गुड़गांव 285 दिन चला तथा घरौण्डा प्लांट 286 दिन चला। पंजीरी प्लांटों का व्यय पूरक पोषाहार पर हुए व्यय में शामिल है।

**xi** आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण प्रोग्राम

आई0सी0डी0एस0 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना एक नियमित गतिविधि है तथा प्रशिक्षण देने के लिए राज्य में कुल 10 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे है जिनमें से 8 हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा तथा दो प्रशिक्षण केन्द्र कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि द्वारा रादौर में चलाए जा रहे हैं। वूमैन एवैयरनैस एण्ड मैनेजमैंट अकादमी (वामा), राई जिला सोनीपत के माध्यम से आई0सी0डी0एस0 सुपरवाईजरों के लिए एक मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र भी चलाया जा रहा है।

वर्ष 2010–11 में 454 आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को कार्य प्रशिक्षण, 5476 आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को रिफ्रैशर कोर्स, 688 हैल्परज को ओरियनटेशन कोर्स तथा 5700 हैल्परों को रिफ्रैशर प्रशिक्षण दिलावाया गया। इसके अतिरिक्त 14 सुपरवाईवरों को जॉब प्रशिक्षण 200 सुपरवाईजरों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिलवाया गया तथा 9 बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निपसिड, नई दिल्ली में जाब प्रशिक्षण तथा 15 बाल विकास परियोजना अधिकारियों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिलवाया गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 में New Indition MCPC Card हेतू अन्य ट्रेनिग Componant के तहत स्ट्रेट लेवल वर्कशॉप का आयोजन किया गया नियमित प्रशिक्षण गतिविधियों हेतू 216.36 लाख रु0 जारी किए जिसका व्यय ब्योरा निम्न प्रकार हैः–

वर्ष 2010–11 में संस्थाओं को प्रदान की गई राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

| क्रमांक | संस्था का नाम | राशि (लाख रूपए में) |
|---|---|---|
| 1. | हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, चण्डीगढ़ | 152.90 |
| 2. | कस्तूरबा गांधी नैशनल मैमोरियल ट्रस्ट, रादौर | 20.70 |
| 3. | मिडल लेवल ट्रेनिंग सैन्टर, राई, (सोनीपत) | 21.21 |
| 4. | विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए | 15.30 |
| कुल | | 216.36 |

**Xii** बीमा योजना– आंगनवाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना

भारत सरकार के भारतीय जीवन बीमा निगम, महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से आंगनवाडी कार्यकताओं तथा हैल्परों के लिए बीमा योजना का संचालन दिनांक 1.04.2004 को किया गया। यह योजना 18–59 के आयु वर्ग लिए है और आंगनवाडी वर्कर व हैल्पर के लिए 2013 तक निशुल्क है। बीमा योजना के अन्तर्गत 200/– रूपये का कुछ वार्षिक प्रीरियम निम्न अनुपात में आबंटित होता है।

1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 100/–
2. सामाजिक सुरक्षा फण्ड एल0आई0सी0 द्वारा संचालित 100/–

आंगनवाडी कार्यकत्री बीमा योजना की विशेषताएं निम्न प्रकार हैः–

1. प्राकृतिक मृत्यू 30,000/–
2. दुर्घटना मृत्यू/सम्पूर्ण स्थाई अपंगता 75,000/–
3. आंशिक स्थाई अपंगता 37,500/–
4. महिला गम्भीर बीमारी लाभ 20,000/–

शिक्षा सहयोग योजनाः– योजना के तहत बीमित सदस्यों के बच्चों के लिए मुफ्त ऐड आन छात्रवृति लाभ उपलब्ध है जहां 9वीं से 12वीं कक्षा (आई0टी0आई0 कोर्सिज भी शामिल है) के विद्यार्थियों को 100/– रूपये महीना छात्रवृति दी जाती है जोकि परिवार के दो बच्चों तक सीमित है।

3. आँगनवाड़ी भवनों का निर्माण

बच्चों को स्वच्छ एवं साफ–सुथरा वातावरण प्रदान करने एवं उनके लिए एक परिसम्पति सृजित करने हेतू वर्ष 2002–03 में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की योजना प्रारम्भ की गई। एक आंगनवाड़ी भवन के निर्माण की अनुमोदित लागत 2.33 लाख रू0 से में बढ़ाकर 4.90 लाख रु0 की गई थी जोकि अब पुनः बढ़ाकर 8.50 लाख रू0 कर दी गई है । आंगनवाडी केन्द्रों के नक्शे मे परिवर्तन किया गया है जिसमें खाना बनाने का स्थान, राशन को स्टोर करने, कपडे धोने के लिए खुरा तथा नल के साथ ट्रफ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2010 के दौरान 1000 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए 50.00 करोड़ रू0 की राशि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत जारी की गई ।

4. किशोरी शक्ति योजना

11–18 वर्ष की किशोर बालिकाओं के पोषाहार एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने, उनको गृह आधारित एवं व्यवसायिक कुशलताओं से सुसज्जित करने व इनमें सुधार लाने तथा स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार, गृह प्रबन्ध, बाल देखभाल तथा 18 वर्ष की आयु होने पर या इससे अधिक आयु में विवाह करवाने बारे जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य से वर्ष 1993–94 से हिस्से के आधार पर किशोरी बालिका योजना लागू की गई। सर्वप्रथम यह योजना सिरसा जिले के 4 आई0 सी0 डी0 एस0 प्रोजेक्टों में चलाई गई थी। इस योजना का आगे विस्तार किया गया और राज्य के 12 शहरी आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्टों सहित 128 आई.सी.डी.एस. प्रोजैक्टों में चलाई जा रही है। स्कीम के अन्तर्गत सेवाएं 10 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में 6 मास के लिए 20 किशोरी बालिकाओं का बालिका मण्डल बनाकर प्रदान की जाती हैं। अतः एक आंगनवाड़ी केन्द्र में वर्ष भर में 40 किशोर बालिकाओं को दो बैचों में कवर किया जाता है। लड़कियों को 5.00 रू0 प्रतिदिन प्रति लाभपात्र की दर से पूरक पोषाहार भी दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में 128 समेकित बाल विकास परियोजनाओं में 1636 बालिका मण्डल कार्यरत हैं तथा इनमें किशोरी शक्ति योजना भाग–2 (बालिका मण्डल अप्रोच) लागू किया जा रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में 387.82 लाख रू0 व्यय किए गए जिसमें से 330.54 लाख रू0 पूरक पोषाहार पर राज्य सरकार के हिस्से के रूप में व्यय किए गए। योजना के अन्तर्गत 65337 बालिकाओं को पूरक पोषाहार और 65366 बालिकाओं को गृह आधारित कुशलताओं पर प्रशिक्षण देने के साथ–2 स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार एवं बाल देखभाल आदि के ज्ञान से सुसज्जित किया गया।

5. सुरक्षित भविष्य योजना

राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्करों तथा हैल्परों के कल्याण हेतु एक नई सुरक्षित भविष्य योजना 1–1–2008 से आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक आंगनवाडी वर्कर तथा हैल्पर जिसने 1–1–2008 को एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, के लिये 100/–रू0 की राशि प्रतिमास भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निवेश की जायेगी जिसमें से 83/–रू0 की राशि प्रत्येक वर्कर/हैल्पर के

लिये बचत के रूप में तथा 17/–रू0 की राशि रिस्क प्रीमियम के रूप में रखी जायेगी। किसी भी वर्कर/हैल्पर की अचानक मृत्यु होने पर 50,000/–रू0 की राशि बीमे के रूप में प्रदान की जायेगी तथा शेष 83/–रू0 की राशि प्रतिमास जमा रहेगी तथा 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत होने पर ब्याज सहित उसे प्रदान की जा सकेगी। वर्ष 2010–11 में 410.31 रू0 की राशि खर्च की गई और 17444 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं 17192 हैल्परों को इसका  का लाभ दिया।

6. इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत 100 प्रतिशत खर्चा भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। यह परियोजना सर्वप्रथम पंचकूला जिले में पायलट परियोजना के रूप में लागू की गई।

8 समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)

राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2010 से समेकित बाल संरक्षण योजना को लागू किया गया है। यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत जरूरतमंद बच्चों की देखरेख व कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित विभिन्न योजनाओं को कवर किया जाऐगा। यह कार्यक्रम हरियाणा स्टेट प्रोटेक्शन सोसाइटी, जो कि पहले ही पंजीकृत की गई, के माध्यम से चलाया गया है। जिला स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति तथा जिला बाल संरक्षण कमेटी का गठन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर स्टेट प्रोजेक्ट स्पोर्ट यूनिट की स्थापना की गई है। इस योजना के अंतर्गत जरूरमंद बच्चों को उनकी देखरेख व सुरक्षा के लिए संस्थागत तथा नान–संस्थागत देखरेख उपलब्ध करवाई जा रही है। नान–संस्थागत देखरेख उपलब्ध करवाने के लिए स्टेट अडोपशन रिसोर्स ऐजेन्सी की स्थापना की गई है। जिसके तहत प्रत्येक जिले में विशेष एडोप्सन एजेन्सी स्थापित की जायेगी। चालु संस्थानों को मजबूत तथा सुचालक बनाने के लिए जरूरतमंद बच्चों की देखरेख व सुरक्षा के लिए अधिक संस्थागत प्रबंध किए गए है। राज्य सरकार द्वारा  5.48 करोड़ रू0 की राशि से निरिक्षण होम अम्बाला तथा हिसार के नऐ भवनों का निर्माण किया गया है। 2.23 करोड़ रू0 की राशि से स्टेट आफ्टर केयर होम सोनीपत के नए भवन का निर्माण किया जाएगा।

1. किशोर नयाय (बालकों की देख–रेख एवं सरंक्षण) अधिनियम–2000

किशोर नयाय (बालकों की देख–रेख एवं सरंक्षण) अधिनियम–2000 राज्य में 1.4.2001 से लागू है। अधिनियम की धारा–8 (1) के अंतर्गत एक ओबजरवेशन होम (लड़कों के लिये) जिला सोनीपत में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। जहां पर 18 वर्ष तक की आयु के किशोरों कों, जिनके केस विभिन्न किशोर न्याय बोर्डो में विचारधीन होते है, को किशोर न्याय बोर्ड के आदेशानुसार प्रवेश देकर आवास, भोजन, चिकित्सा, मनोरंजन आदि की सुविधायें प्रदान करते हुये रखा जाता है। वर्ष 2010–11 में 110.12 लाख रूपयें खर्च किये गये।

उक्त के अतिरिक्त अन्य 4 जिलों करनाल, फरीदाबाद (25 संवासियों की क्षमता का) हिसार तथा अम्बाला में ओबजरवेशन होम (50 संवासियों की क्षमता का) स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि संवासियों को आवश्यक सुविधायें ठीक प्रकार से प्रदान की जा सके।

**ii**. ओबजरवेशन होम, करनालः– राज्य में लड़कियों के लिये कोई भी ओबजरवेशन होम स्थाापित नही था। राजकीय उत्तर रक्षा गृह (कन्या) करनाल को (25 लड़कियों की क्षमता का) ओबजरवेशन होम के तौर पर अधिसूचित किया गया जहां 18 वर्ष से कम आयु की विधि का उल्लघंन करने वाली लड़कियों को प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। ओबजरवेशन होम, करनाल के भवन के लियें 8.99 लाख रूपयें की लागत से अतिरिक्त भवन का निर्माण करवाया गया। जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड के आदेशों से किशोरियों को संस्था में प्रवेश देय है।

**iii**. ओबजरवेशन होम, फरीदाबादः– संरक्षण गृह, फरीदाबाद को ओबजरवेशन होम के तौर पर नोटीफाई करवा कर ओबजरवेशन होम, फरीदाबाद में 26.41 लाख रूपयें की लागत से पंचायती राज से आवश्यक मोडीफिकेशन करवा कर 25 संवासियों की क्षमता का (लड़कों के लिये) ओबजरवेशन होम स्थापित किया गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेशों से किशोरों को संस्था में प्रवेश देय है।

iv. ओबजरवेशन होम, अम्बाला तथा हिसारः– जिला अम्बाला तथा हिसार में प्रत्येक में 50 संवासियों की क्षमता का ओबजरवेशन स्थापित करने हेतु अम्बाला में डेढ एकड़ भूमि राजस्व विभाग तथा हिसार में दो एकड़ एक मरला भूमि पशू पालन विभाग ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निशुल्क दी माह 1 अगस्त 2010 में ओबजरवेशन होम सोनीपत तथा विशेष गृह सोनीपत के संवासियों को अम्बाला में स्थानान्तरण किया गया तथा संवासियों की संख्या 53 रही।

v. विशेष गृह, सोनीपतः– किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं सरंक्षण) अधिनियम–2000 की धारा–9 के अंतर्गत 25 संवासियों की क्षमता वाला विशेष गृह सोनीपत में स्थापित है। जहां सजायफता किशोरों को किशोर न्याय बोर्ड के आदेशानुसार उनकी सजा की अवधि तक आवास, भोजन, वस्त्र, शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधायें मुफ्त में प्रदान की जाती है। वर्ष 2010–11 में 11.65 लाख रूपयें खर्च किये गये तथा संवासियों की संख्या 7 रही।

vi. राजकीय उत्तर रक्षा गृह, सोनीपतः– इस गृह में बाल गृह विशेष से रिहा हुये किशोरों तथा बेसहारा विधवाओं के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। यहां उन्हें आवास, भोजन, वस्त्र तथा शिक्षा आदि की सुविधायें मुफ्त प्रदान की जाती है संवासियों को सरकारी स्कूल के माध्यम से कक्षा 12 वीं तक शिक्षा तथा इच्छुक संवासियों को आई.टी.आई. में प्रवेश दिलाकर तकनीकी शिक्षा दिलवाई जाती है।

संस्था को अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत नोटीफाई किया गया है। वर्ष 2010–11 में 24.28 लाख रूपयें खर्च किये गये तथा संवासियों की संख्या 27 रही।

vii. <u>स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे गृहों की सूचना निम्न अनुसार हैः–</u>

क आश्रय गृह, रिवाड़ी तथा आश्रय गृह छछरौली

जिला बाल कल्याण परिषद, रिवाड़ी तथा जिला बाल कल्याणा परिषद, यमुनानगर द्वारा रिवाड़ी तथा छछरौली में आश्रय गृह चलायें जा रहे है। ये गृह अधिनियम की धारा–37 के अंतर्गत स्थापित है।

आश्रय गृह, रिवाड़ी की क्षमता 25 की तथा आश्रय गृह, छछरौली की क्षमता 50 संवासियों की है। संवासियों के रख–रखाव, बिस्तर की खरीद, कर्मचारी वर्ग के वेतन तथा कंटीजैन्ट खर्चो हेतू सरकार द्वारा निर्धारित दर पर संस्था को अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| वर्ष | आश्रय गृह रिवाड़ी के संवासियों की संख्या | | आश्रय गृह छछरौली संवासियों के संवासियों संख्या | |
|---|---|---|---|---|
| | क्षमता | वास्तविक | क्षमता | वास्तविक |
| 2010–11 | 25 | 5 | 50 | 40 |

(ख) बाल गृह, रिवाड़ी तथा बाल गृह छछरौली

जिला बाल कल्याण परिषद, रिवाड़ी द्वारा एक बाल गृह रिवाड़ी में तथा जिला बाल कल्याण परिषद् यमुनानगर द्वारा एक बाल गृह छछरौली में चलाया जा रहा है। यह गृह अधिनियम की धारा –34 के अंतर्गत स्थापित है। बाल गृह, रिवाड़ी की क्षमता 50 संवासियों की है तथा बाल गृह छछरौली की क्षमता 150 संवासियों की है। संवासियों के रख–रखाव, बिस्तर की खरीद, कर्मचारी वर्ग के वेतन तथा कंटीजैट खर्चो हेतू सरकार द्वारा निर्धारिति दर पर संस्था को अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| वर्ष | बाल गृह रिवाड़ी के संवासियों की संख्या | | बाल गृह छछरौली के संवासियों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|
| | क्षमता | वास्तविक | क्षमता | वास्तविक |
| 2010–11 | 50 | 33 | 150 | 93 |

बाल गृह/आश्रय गृह, छछरौली और रिवाड़ी को वर्ष 2010–11 में 47.27/– लाख रूपयें का सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया।

उक्त के अतिरिक्त किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड स्थापित किये गये। जिसमें संबंधित जिला के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रैट प्रिसिपल मैजिस्ट्रेट है। किशोर न्याय बोर्ड विधि का उल्लघंन करने बाले किशोरों के मामलों में विचार करके निर्णय देते है।

राज्य के प्रत्येक जिले संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में बाल कल्याण समिति गठित की गई है जो उपेक्षित बच्चों के मामलों में विचार करके उन्हें आश्रय गृह छछरौली/रिवाड़ी में प्रवेश हेतु भेजते है।

बाल गृह के निरीक्षण हेतु जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में रिवाड़ी तथा छछरौली में निरीक्षण कमेटी गठित है।

हरियाणा राज्य में निम्न स्वैच्छिक संस्थाओं को बच्चों को गोद देने हेतु प्लेसमेंट एजैन्सी के तौर पर नोटीफाईड किया गया है।

1. हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद्, चण्डीगढ़ – बच्चों को देश/विदेश में गोद देने हेतु।
2. बाल ग्राम राई, सोनीपत – देश में गोद देने हेतु।

किशोर न्याय (बालको की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में तालमेल रखने हेतु तथा सरकार को गृहों की स्थापना/संवासियों की आवश्यक सुविधायें देने हेतु तथा

महिला एवं बाल विकास  मंत्री की अध्यक्षता में स्टेट एडवाईजरी बोर्ड गठित है। जिसमें विभिन्न विभागों के वित्तायुक्त सदस्य है। इसके साथ–2 सरकार द्वारा किशोरों के कल्याण/पुनर्वास के लिए जुवेनाईल जस्टिस फण्ड भी स्थापित किया गया है। अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत Crime Women Child को Special Juvenil Police Unit के तौर पर नोमीनेट किया गया है।

**viii** बाल कल्याण के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा संचालित सहायक अनुदान से संबंधित स्कीमों का विवरणः–

(क) वैल्फेयर आफ स्ट्रीट चिल्ड्रन स्कीम

इस योजना के उद्देशय घुमन्तु बच्चे, जो कि निराश्रितता, उपेक्षा व शोषण का सामना कर रहे हो, के विकास, सुरक्षा एवं देखभाल के लिए समुचित समुदाय पर आधरित गैर संस्थात्मक मूल सुविधायें प्रदान करना है। स्कीम के माध्यम से बच्चों के साथ हो रहे शोषण को कम करना या समाप्त करना तथा उन्हें खतरनाक कार्यो से हटाने पर जोर दिया जाता है। यह स्कीम स्वेच्छिक संस्थाओं के माध्यम से चलाई जा रही है। एक प्राजैक्ट में 100 बचें कवर किए जाते है जिनके लिए गैर–सरकारी सवैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान का 90 प्रतिशत सहायता राशि 10 प्रतिशत मैचिंग आधार पर स्वीकृत किया जाता है। अधिकतम 2.95 लाख रू0 प्रथम वर्ष में दिए जाते है जिसमें 50000/– नान–रैकरिंग खर्चा शमिल है। प्रोजैक्ट के दूसरे वर्ष 2.51 लाख रू0 की सहायता राशि सहायक अनुदान के रूप में दी जाती है। इस योजना के तहत पलवल जिले को छोड़कर प्रत्येक जिले में प्रोजैक्ट चलाए जा रहे है

योजना के तहत गलियों/झुग्गी–झोपड़ियों में रह रहे बच्चे या छोटे–मोटे कार्य (रद्दी बिनने वाले, जुते पालिश, कुलीगिरी, हैल्पर, सफाई, चाय के स्टॉल इत्यादि) कर रहे बच्चों को यह कार्य छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है तथा प्रोजैक्ट के अंतर्गत उन्हें गैर सरकारी संस्थायें, औपचारिक/अनौनचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, पोषिटक आहार, व्यवसायिक प्रशिक्षण दे रही है। उनके माता–पिता को परामर्श दिया जात है कि वे अपने बच्चों का साधारण स्कूलों में दाखिला करवायें, अपने आस–पास के क्षेत्र को स्वच्छ रखें व समय–समय पर आयोजित कि जाने वाले कैम्पस में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करवायें।

इस योजना के तहत वर्ष 2010–11 में 27 संस्थाओं के माध्यम में 67.42 लाख रू0 खर्च करके 2750 लाभपात्रों को लाभ दिया गया।

(ख) निराश्रित एवं अनाथ बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल एवं अन्य बाल कल्याण योजनायें

निराश्रित एवं अनाथ बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को अनाथ व बेसहारा बच्चों के रख–रखाव के लिए सहायक अनुदान प्रदान किया जाता है। वर्तमान में योजना के तहत प्रत्येक बच्चे के लिए 1000/– रू0 प्रतिमास प्रति बच्चों की दर से सहायक अनुदान के रूप में स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता राशि बच्चों के रख–रखाव हेतु दी जाती है। विभाग द्वारा सहायक अनुदान का 90:10 प्रतिशत के मैचिंग ग्रांट के दिया जाता आधार पर है। इन गृहों में रह रहे अनाथ/निराश्रित बच्चों को स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा मुफ्त आवास, भोजन, चिकित्सा, वस्त्र के साथ–2 शिक्षा भी स्कूलों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं को (हरियाणा राज्य बाल भवन मधुबन, बाल ग्राम राई, व हरियाणा राज्य बाल ल्याणा परिषद् चण्डीगढ़ को बाल कुन्ज छछरौली के अमले के वेतन हेतु) अमले के वेतन, भवन की मुरम्मत, व सवासियों की शिक्षा से संबंधित खर्चो के लिए सहायक अनुदान दिया जा रहा है जिसके लिए विशेष तौर पर बजट में प्रावधान किया जाता है।

वर्ष 2010–11 में 16 स्वैच्छिक संस्थाओं को 165.01 लाख रू0 की सहायक अनुदान राशि 881 लाभपात्रों के लिए स्वीकृत की गई।

विभाग द्वारा चलाई जा रही सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में रह रहे बच्चों के मनोरंजन हेतु डे–होम सोसायटी, चण्डीगढ़ के माध्यम से कैम्पों का आयोजन किया जाता है। संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष 4–5 होली डे कैम्पों का आयोजन किया जाता है।

9– ग्रामीण किशोर बालिकाओं को पुरस्कार

बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण किशोर बालिकाओं को पुरस्कार' की योजना प्रारम्भ की गई है। जिस के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ग्रामीण स्कूलों की तीन बालिकाओं, जो खण्ड स्तर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करती हैं, को क्रमशः 2000/–रु0,1500/–रु0 व 1000/– रु0 प्रोत्साहन पुरस्कार में दिए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में 5.54 लाख रू0 की राशि व्यय की गई तथा 369 लड़कियों को पुरस्कार दिये गए।

10– शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार

बच्चों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए वर्ष 2005–06 से शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार योजना शुरू की गई है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार देने के कौशलों एवं ज्ञान से सुसज्जित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वह प्रभावी रूप से जागृति पैदा कर सके और माताओं की काउनसलिंग कर सकें। वर्ष 2010–11 मे स्तन पान को बढावा देने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों मे विज्ञापन देकर प्रचार अभियान चलाया गया है।

11– सर्वोत्तम माता पुरस्कार

विभाग द्वारा बच्चों, विशेषकर लड़कियों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने हेतू उनके भली–भांति पालन–पोषण के प्रति माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम माता पुरस्कार (बैस्ट मदर अवार्ड) की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत आई.सी.डी.एस. योजना के अंतर्गत कवर होने वाले प्रत्येक सर्कल एवं खण्ड में माताओं का चयन जिनकी कम से कम एक लड़की है, शादी के समय महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं थी तथा वह अन्य शर्ते पूरी करती हो तो एक चयन प्रकिया के तहत उनका चयन प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के लिए किया जाता है। सर्कल स्तर पर 3 माताओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान ग्रहण करने पर क्रमशः 500/–रू0, 300/–रू0 और 200/–रू0 के पुरस्कार दिए जाते हैं । सर्कल स्तर पर चुनी गई माताओं में से ही खण्ड स्तर पर पुरस्कारों के लिए माताओं को चुना जाता है। खण्ड स्तर पर 3 माताओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान ग्रहण करने पर क्रमशः 1000/–रू0, 750/–रू0 और 500/–रू0 के पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष

2010–11 में कुल 3438 माताओं को पुरस्कार दिये गए। इसके लिए 20.39 लाख रू0 की राशि आई0सी0डी0एस0 स्कीम के अन्तर्गत व्यय की गई।

12. महिलाओं के लिए खेल कूद प्रतियोगिता

महिला एवं बाल विाकस विभाग द्वारा महिलाओं सशक्तिकरण एवं विश्वास निर्माण हेतू तथा खेल एवं मनोरजन के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए खण्ड स्तर, जिला स्तर व राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगता आयोजित करने की योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत 30 वर्ष के ऊपर की महिलाओं/लड़कियों के लिए आलू दौड़, मटका दौड, 100 मीटर दौड़ तथा 30 वर्ष आयु से कम की लड़कियों/महिलाओं के लिए प्रतियोगिताओं में 300 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़ तथा 5 कि0मी0 साईकलिंग को शामिल किया गया है। सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाली खिलाड़ियों को निम्न अनुसार पुरस्कार प्रदान किये गयेः–

| पुरस्कार | ब्लाक स्तर | जिला स्तर | राज्य स्तर |
|---|---|---|---|
| प्रथम पुरस्कार | 500/– | 1000/– | 3100/– |
| द्वितीय पुरस्कार | 300/– | 750/– | 2100/– |
| तृतीय पुरस्कार | 200/– | 500/– | 1100/– |

इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर भाग लाने वाले सभी खिलाडियों को 500/– रू0 के पुरस्कार प्रदान किये गये। वर्ष 2010–11 में 2919 पुरस्कारों के लिए 29.04 लाख रू0 की राशि आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत व्यय की गई।

13, पोषण स्तर में सुधार हेतु जिला स्तरीय न्यूट्रीशन अवार्ड

हरियाणा में कुपोषित बच्चों की सख्या घटाने के लिये जिला स्तर पर न्यूट्रीशन अवार्ड दिया जाता है जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय अवार्ड क्रमशः 2.00 लाख रूपये, 1.00 लाख रूपये तथा 50,000/– रूपये प्रतिवर्ष दिये जाते है । वर्ष 2010–11 के दौरान जिला जीन्द, गुड़गांव तथा कुरूक्षेत्र को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार दिए गए।

14. घटते लिंग अनुपात में सुधार हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार

घटते लिंग अनुपात में सुधार लाने वाले जिलो को प्रतिवर्ष प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार क्रमशः 5.00 लाख रु0, 3.00 लाख रु0 तथा 2.00 लाख रू0 दिये जाते है। यह धनराशि जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं के विकास पर खर्च की जाती है। वर्ष 2010–11 के दौरान जिला पानीपत, मेवात तथा जीन्द को प्रथम द्वितीय व तृतीय पुरस्कार दिए गए।

15. जैण्डर संवेदनशीलता कार्यक्रम

जैण्डर संवेदनशीलता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य में घटते लिंग अनुपात को सन्तुलित करना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना, समाज में बालिका का सामाजिक स्तर उपर उठाना एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना है। आधारभूत स्तर पर सेवाप्रदाता जैसे कि बहु–उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक, पुलिस आदि के कर्मचारी एवं पंचायतीराज के सदस्य होते हैं, जिनको महिलाओं की जरुरतों एवं समस्याओं को अनुभव करने एवं उन्हें समझने की आवश्यकता होती है, का

प्रशिक्षण दिया जाता है। इस संदर्भ में पहले चरण में सभी पंचों एवं सरपंचों, अध्यापकों/स्वास्थ्य अमला एवं पुलिस कर्मियों को महिला अध्ययन रिसर्च केन्द्र, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के माध्यम से जैण्डर संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2010–11 में महिला अध्ययन वं खोज सैन्टर कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरूक्षेत्र के माध्यम से जिला हिसार एवं जीन्द में जिला स्तर से 3 मास्टर ट्रेनरज प्रशिक्षण कोर्स तथा इन्हीं जिलों में 97 ब्लाक स्तर पर 2 दिवसीय लिंग सवेंदनशीलता पर वर्कशोपस आयोजित की गईं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में 23.69 लाख रू0 की राशि व्यय की गई।

16. जवाहर बाल भवन

6–16 वर्ष की आयु के बच्चों को मनोरंजनात्मक एवं शिक्षात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा भिवानी में जवाहर बाल भवन चलाया जा रहा है। विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 में इस भवन के लिए 10,000/– रू0 का अनुदान स्वीकृत किया गया।

17. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र स्थापित करना (छात्रवृति योजना)

इस योजना के अधीन स्वैच्छिक संस्थाओं/अर्ध सरकारी/कल्याण संस्थाओं/प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाएं जो हरियाणा में कार्यरत रही हैं तथा महिलाओं, बच्चों व किशोरों को कल्याण सेवाएं प्रदान करती हैं, अथवा अनुसंधान, मूल्यांकन करती हैं, क्षमता निर्माण के लिए महिलाओं एवं किशोरियों को प्रशिक्षण देती है और आय उपार्जन गतिविधियां चलाती हैं, स्वंय सहायता समूह निर्माण एवं उनके पोषण, सामाजिक बुराईयों के विरुद्व सामाजिक लामबन्दी और आन्दोलन करती हैं आदि के लिए, सहायक अनुदान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2010–11 में 48 स्वैच्छिक संस्थाओं को .82.40 लाख रू0 की राशि के सहायक अनुदान स्वीकृत किए गए ।

वर्ष 2010–11 में जारी अनुदान राशि का विवरणः–

| क्रमांक | जिले के नाम | संस्था का नाम | परियोजना का नाम | स्वीकृत राशि (रू0 लाखों में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अम्बाला | स्वाधार सोसायटी फार एजुकेशन वैल्फेयर एंड हैल्थ एक्टीविटिज इन रूरल एरिया, गांव व डा0 लाहा, तह0 नरायणगढ़ अम्बाला। | ▪ कटिग एण्ड टेंलरिंग | 0.90 |
| 2. | अम्बाला | ग्राम सुधार समिति, खानपुर ब्राहमणा, शाहाजादपुर तहसील नरायणगढ़ अम्बाला | ▪ कटिग एण्ड टेंलरिंग | 0.90 |
| 3. | अम्बाला | जिला बाल कलयाण समिति, अम्बाला | ▪ फैशन डिजाईनिंग<br>▪ ब्यूटी केयर ट्रेनिंग | 0.90<br>0.90 |
| 4. | भिवानी | नारी चेतना समिति, कार्यालय सराफों की गली, चरखी दादरी, भिवानी, | ▪ कटिंग एण्ड टेलरिंग<br>▪ दरी मार्कट ट्रेनिंग | 0.90<br>0.60 |
| 5. | भिवानी | अखिल भारतीय नवयुवक भवन कला संगम, नजदीक राधा स्वामी सत्सग, रोहतक रोड़ भिवानी | ▪ ब्यूटीशियन ट्रेनिंग<br>▪ रेडिमेंट वस्त्र | 0.90<br>0.90 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | भिवानी | युवा विकास क्लब गांव मिथाधल जिला भिवानी | ▪ कम्पयूटर ट्रेनिंग | 1.10 |
| 7. | भिवानी | ए.पी.एल. फाउण्डेशन रजि0 ऑफिस, श्री सोमनाथ मदिंर, जीन्द, | ▪ कटिंग एण्ड टेलरिंग | 1.10 |
| 8. | गुड़गांव | आदर्श रूरल डवलपमैंट, सोसाइटी, 30, केदारपुर, गुड़गांव | ▪ ब्यूटीशियन ट्रेनिंग | 1.10 |
| 9. | गुड़गांव | जन चेतना एव ग्राम विकास समिति, गांव तेजनगर पी.ओ. पाटली स्टेशन गुड़गांव | ▪ कटिग एण्ड टेंलरिंग | 0.90 |
| 10. | हिसार | युवा मण्डल मंगलिक सुतीया आदर्श कलोनी, नजात नगर, ककवा रोड़ हिसार | ▪ प्लास्टिक से बनाई गई चीजें | 2.05 |
| 11. | हिसार | हरियाण सोशल हैल्थ वैल्फयर सोसाईटी एच.टी.एम. क्लोनी गुहाना रोड़ हिसार। | ▪ कागज़ से बनाई जाने वाली प्लेटों की ट्रेनिंग | 2.05 |
| 12. | झज्जर | ग्रामीण महिला विकास समिति गांव बिरधाना नजदीक एच.पी. गैस एजेंन्सी ऑफिस, कोसी रोड़ तहसील जिला झज्ज्र | ▪ कटिग एण्ड टेंलरिंग<br>▪ ब्यूटीशियन ट्रेनिंग | 1.10<br>0.90 |
| 13. | झज्जर | सोसाइटी आफॅ ओल राउड मानव विकास<br>मकान नं0 378, वार्ड नं0 9 विवेकानन्द नगर बहादुरगढ़, झज्जर | ▪ कम्पयूटर ट्रेनिंग<br>▪ कटिंग एण्ड टेलरिंग | 1.10<br>1.10 |
| 14. | झज्जर | सर छोटू राम युवा क्लब गांव बेरी जिला झज्जर | ▪ कटिंग एण्ड टेलरिंग | 1.90 |
| 15. | झज्जर | युवा शास्त्री जागृति एवं विनय जीवन सनाकक्ष समिति, गांव हसनपुर, जिला झज्जर, शाखा दफतर मकान नं0 412/14 नजदीक सरकारी स्कूल, | ▪ कम्पयूटर ट्रेनिंग<br>▪ कटिंग एण्ड टेलरिंग<br>▪ अवेयरनैश जरनैशनल | 1.60<br>1.10<br>0.60 |
| 16. | जीन्द | अमर ज्योति फाउण्डेशन नजदीक लिजवाना चुंगी गांव जुलाना, जिला जीन्द। | ● ड्रेस डिजाईनिंग | 0.90 |
| 17. | जीन्द | गोदावरी शिक्षा समिति मकान नं0 1641 जीन्द | ● कटिंग एण्ड टेलरिंग | 1.10 |
| 18. | जीन्द | महात्मा गांधी प्राकृतिक चिकित्सा समिति 286/5 गांधी नगर जीन्द | ▪ कम्पयूटर ट्रेनिंग<br>▪ ब्यूटीफिकेशन ट्रेनिंग | 1.10<br>0.90 |
| 19. | जीन्द | ग्राम सुधार समिति | ▪ कागज़ से बनाई जाने वाली प्लेटों की ट्रेनिंग<br>▪ रेडिमेंट वस्त्र | 2.10<br>1.10 |
| 20. | जीन्द | शीतल युवा सघर्ष समिति, जीन्द | ▪ कटिंग एण्ड टेलरिंग | 1.10 |
| 21. | जीन्द | सोसायटी फार अवेयरनैस वैल्फेयर एजुकेशन एण्ड रूरल एडवासमैंट वार्ड | ▪ कागज़ से बनाई | 2.10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | नं0 8, ओदरों वाली गली सफीदों, जीन्द। | जाने वाली प्लेटों की ट्रेनिंग<br>■ रेडिमेंट वस्त्र | 1.10 |
| 22. | जीन्द | समाज कल्याण शिक्षा समिति, गांव अलेवा जिला जीन्द, | ■ कागज़ से बनाई जाने वाली प्लेटों की ट्रेनिंग<br>■ रेडीमेन्ट व कढ़ाई वाले वस्त्र | 2.10<br>1.10 |
| 23. | करनाल | जिला बाल कल्याण समिति, करनाल | ■ फैशन डिजाईनिंग<br>■ ब्यूटी केयर ट्रेनिंग | 1.10<br>1.10 |
| 24. | कैथल | ग्रामीण युवा विकास मण्डल जिला कैथल ब्लॉक राजौद | ■ ब्यूटीशियन ट्रेनिंग | 1.10 |
| 25. | महेन्द्रगढ़ | सोसायटी फार एजुकेशन एण्ड वैल्फेयर एक्टीविटिज नजदीक पावर हाउस, नांगल चौधरी (नारनौल) | ■ ब्यूटीशियन ट्रेनिंग | 0.90 |
| 26. | पनीपत | जिला बाल कल्याण समिति, बाल भवन, हरी पार्क पानीपत | ■ फैशन डिजाईनिंग<br>■ ब्यूटी केयर ट्रेनिंग | 1.10<br>1.10 |
| 27. | पानीपत | नैशनल कम्पयूटर शिक्षा समिति, शक्ति मार्ग समालखा, पानीपत | ■ कम्प्यूटर ट्रेनिंग | 1.10 |
| 28. | पानीपत | हरी महिला विकास समिति शिव नगर, गली नं0 2 पानीपत | ■ दरी मार्कट ट्रेनिंग | 0.60 |
| 29. | पानीपत | चेतना युवती समिति, फस्ट फलोर, शर्मा टेन्ट हाउस, रेलवे रोड़ समालखा, पानीपत | ■ कम्पयूटर ट्रेनिंग<br>■ ब्यूटीशियन ट्रेनिंग | 1.10<br>1.10 |
| 30. | पंचकूला | ग्राम सुधार समिति ककराली (ब्रांच–गांव ककराली) रायपुर रानी, जिला पंचकुला | ■ कटिग एण्ड टेंलरिंग | 0.90 |
| 31. | पंचकूला | स्वाधार (सोसायटी फार एजुकेशन वैल्फेयर एंड हैल्थ एक्टीविटिज इन रूरल एरिया) गांव व डा0 लाहा तह0 रायपुर रानी, पंचकूला, | ● कटिंग एण्ड टेलरिंग | 0.90 |
| 32. | पंचकूला | पीया शर्मा चेरीटेबल ट्रस्ट, कोठी नं0 496, सैक्टर–6, पंचकुला। | ● सिलाई व कढ़ाई (पुराना) | 0.90 |
| 33. | पंचकूला | भारतीय ग्रामीण महिला संघ, मकान नं0 96, सैक्टर–10, पंचकुला। | ■ क्राफ्ट सैन्टर (11)<br>■ आर्ट सैन्टर (3) | 6.60<br>1.80 |
| 34. | पंचकूला | एस.आर.एस. एस.सी.ओ0 58, फस्ट फलोर, स्क्टिर–6, पंचकूला | ■ कम्पयूटर ट्रेनिंग<br>■ ब्यूटीशियन ट्रेनिंग | 1.10<br>0.90 |
| 35. | पंचकूला | जिला बाल कल्याण समिति, बेज नं0 19, सैक्टर–14, पंचकूला | ■ कम्प्यूटर ट्रेनिंग (रायपुरानी)<br>■ कम्प्यूटर ट्रेनिंग (पिजौर) | 1.10<br>1.10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36. | पंचकूला | सक्षम पुर्नसुधार संस्था एस.सी.ओ. 58, सैक्टर 6 पंचकूला। (एस.आर.एस) | ▪ अव्यरनेस कैम्पस (10) | 0.60 |
| 37. | पंचकूला | भारतीय ग्रामीण महिला संघ, मकान नं0 96, सैक्टर–10, पंचकुला। | ▪ क्राफ्ट सैन्टर | 0.60 |
| 38. | रोहतक | आल इण्डिया कामन व्हील ओर्गेनाईजैंशन, 94/22 लक्ष्मी नगर, रोहतक | ▪ ड्रेस डिजाईनिंग कोर्स<br>▪ ब्यूटीशियन केयर कोर्स | 0.90<br>0.90 |
| 39. | रोहतक | शिक्षा एवं जन कल्याण 665/20, प्रेम नगर, रोहतक, | ▪ रेडिमेंट वस्त्र | 0.90 |
| 40. | रोहतक | भारत विकास संघ, 1674/22 श्री नगर क्लोनी रोहतक | ▪ पर्समेकिग<br>▪ कटिंग एण्ड टेलरिंग | 0.60<br>1.10 |
| 41. | रोहतक | जिला बाल कल्याण समिति, बाल भवन, रोहतक, | ▪ क्राफ्ट ट्रेनिंग सैन्टर (3) | 1.80 |
| 42. | रेवाड़ी | मोरनिंग गलोरी पब्लिक सोसाइटी, 1260, न्यू हाउसिंग बोर्ड क्लोनी, रेवाड़ी, | ▪ कम्पयूटर ट्रेनिंग | 1.60 |
| 43. | सोनीपत | जन कल्याण समिति, मकान नं0 719/16 न्यू राजेन्द्र नगर ओ.पी.पी. पीडब्लयूडी रेस्ट हाउस सोनीपत | ▪ कटिग एण्ड टेंलरिंग | 0.90 |
| 44. | सोनीपत | मार्डन एजुकेशन सोसायटी, 241, सैक्टर –1, गोपाल पुर रोड़ खरखौदा, सोनीपत | ▪ कटिग एण्ड टेंलरिंग | 0.90 |
| 45. | सोनीपत | विवेकानंद एजुकेशन सोसायटी,वार्ड न0 2 शास्त्री नगर, खरखौदा, सोनीपत। | कटिग एण्ड टेंलरिंग | 1.10 |
| 46. | सोनीपत | युवा समाज सेवा संगठन, मकान नं0 407–बी, वार्ड नं0 9, नजदीक पुलिस स्टेशन,गन्नौर, सोनीपत। | ▪ ब्यूटीशियन ट्रेनिंग | 1.10 |
| 47. | यमुनानगर | कम्पयूटर शिक्षा सोफटवैयर सोसाइटी, मकान न0 127,, गांधी धाम, नजदीक बस स्टेड जगाधरी, | ▪ क्राफ्ट ट्रेनिंग सैन्टर<br>▪ टैस्टटाईल डिजाई<br>▪ कम्पयूटर ट्रेनिंग<br>▪ फैशन डिजाईनिग | 0.60<br>1.10<br>1.10<br>1.10 |
| 48. | सिरसा | सौगात अनाज मंड़ी रोड़ नया सरकारी स्कूल, शिव चौक, सिरसा | ▪ कम्पयूटर ट्रेनिंग | 1.10 |

18. दहेज निषेध कार्यक्रम

राज्य में दहेज की बुराई को समाप्त करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया। अधिनियम को अधिक प्रभावी रूप से लागू करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत नियमों में संशोधन किया गया, जिन्हें फरवरी, 2003 में अधिसुचित किया गया, जिनमें दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को अधिक शक्तियां एवं कार्य सौंपे गए। दहेज निषेध अधिनियम को कारगर रूप से लागू करने के लिए निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी नामांकित किया गया है। राज्य में सभी उपमण्डल मजिस्ट्रेटों एवं सभी नगराधीशों को दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया

है। विभाग के नोटिफीकेशन न0 16007/एस. डब्ल्यु.(3) 2004 दिनांक 14.7.2004 के अन्तर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को परामर्श एवं सहायता देने के लिए परामर्श बोर्डों का गठन किया गया।

19. घरेलू हिंसा के विरूद्ध महिला सुरक्षा अधिनियम

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर संरक्षण–सह–बाल विवाह उन्मूलन अधिकारी नियुक्त किए गए है। मुख्यालय स्तर पर उचित समन्वय एवं प्रभावी किर्यान्वयन हेतु एक सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। पीड़ित व्यक्तियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड, जिला रैड क्रास समितियों, जिला बाल कल्याण परिषदों आदि 26 सेवा–प्रदाताओं का चयन किया जा चुका है। इस अधिनियम के अन्तर्गत जरुरतमंद महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु सभी सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मैडीकल सुविधा देने के लिए एवं 3 शैल्टर होमज को आश्रय सेवाओं के लिए अधिसुचित किया गया है। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान मुम्बई को, घरेलू हिंसा के विरूद्ध महिला सुरक्षा हेतु उनका सहयोग/विशेषज्ञ राय के लिए कार्यक्रम में शामिल किया गया है। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान क्रियान्वयन एजेन्सी के साथ संयुक्त रुप से अनुसंधान एवं दस्तावेजिकरण का कार्य करेगा। समाज कल्याण बोर्ड, रैड क्रास सोसायटी, एवं हरियाणा लीगल सर्विस आथोरीटी परामर्श सेवाएं प्रदान करेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा इसका नियन्त्रक एव मोनीटरींग आथोरिटी होगा।

2010–11 में सरंक्षण अधिकारियों के द्वारा 4758 पीड़ित महिलाओं की शिकायतें दर्ज की रिपोर्ट भरी गई। 2959 शिकायतों में सरंक्षण अधिकारियों के द्वारा पीड़ित की मांग पर दोनों पक्षों को परामर्श प्रदान किया गया । 1798 शिकयतों को निपटारा मध्यस्था के द्वारा की गई।

2010–11 में सरंक्षण एवं प्रतिषेध अधिकारियों के द्वारा बाल विवाह की 186 शिकायतें दर्ज की गई जिनमें 26 झूठी शिकायतें मिली।

20. कामकाजी महिला होस्टल

कामकाजी महिलाओं को सस्ती दरों पर आवास सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रैड क्रास समितियॉ तथा नगर पालिकाओं के माध्यम से 17 कामकाजी होस्टल अम्बाला, करनाल, गुडगांव, सोनीपत, फरीदाबाद, रोहतक, कुरूक्षेत्र, सिरसा, रिवाडी, भिवानी, हिसार, यमुनानगर तथा जीन्द, में निर्मित किये गये है। संस्था द्वारा मुफ्त जगह उपलब्ध करवाने पर निर्माण के पूर्ण लागत की 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्धारा प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्माण लागत के 15 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है।

21. महिलाओं के लिए अध्ययन दौरा कार्यक्रम

वर्ष 2010–11 में महिला मण्डलों से संबंधित योजनाओं जिनके नाम महिला सम्मेलन स्कीम, महिला मण्डलों को प्रोत्साहन पुरस्कार, अर्न्तराज्जीय महिला मण्डल अध्ययन दौरा कार्यक्रम है, के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को घर से दूर अन्य राज्यों में जाकर महिलाओं सं संबंधित आर्थिक धन्धों आदि के बारे में विचार विर्मश करके व देखकर लाभ उठायें जाने का अच्छा मौका प्राप्त कर सके। इन महिलाओं को

रास्ते में पढ़ने वाले ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों का भ्रमण भी करवाया जाता है इस स्कीम के बंतर्गत 1.08 करोड़ रू0 की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। राज्य की सभी 6714 महिला मण्डलों को 5000/– रू0 प्रति महिला मण्डल प्रति वर्ष वित्तिय सहायता दी जाती है।

अन्तर्राज्जीय महिला मण्डल अध्ययन दौरा कार्यक्रम के लिए 1680,000/– रू0 की राशि खर्च की गई है। तथा 21 दौरा कार्यक्रम किये गये है। इस योजना के अन्तर्गत महिला मण्डलों के उत्कृष्ट सदस्यों को विभिन्न राज्यों में भेजा गया ताकि वह उन राज्यों में लागू ग्रामीण स्कीमों के कार्यान्वयन को देख सकें तथा उन प्रदेशों की महिलाओं द्वारा चलाई जा रही लाभ पातर गतिविधियों को अपनाकर अपनी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतू महिला मण्डलों के ग्रुप बनाकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान आदि प्रदेशों के अध्ययन दौरे किये जाते है।

22. परिवारिक न्यायालय

पारिवारिक विवादों के शीघ्र निपटान के लिए, राज्य सरकार द्वारा फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार व भिवानी में 4 पारिवारिक न्यायलय स्थापित हो चुके है। अन्य जिलों में चरणबद्व तरीके से स्थापित करने का निणर्य लिया है। ड्राफ्ट नियम बनाये जा चुके है। हरियाणा उच्च न्यायलय को उनकी सहमति हेतु भेजा गया है।

23. अन्य संचार एवं प्रचार

लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाने, सामाजिक बुराईयों को समाप्त करने, महिलाओं तथा बालिकाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए संचार एवं प्रचार के अन्तर्गत व्यापक स्तर पर आई.ई.सी. गतिविधियां शुरू की गई है। अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अखबारों में विज्ञापन देकर महिलाओं एवं बालिकाओं की योजनाओं का प्रचार किया गया। इसी प्रकार स्तनपान सप्ताह, पोषाहार सप्ताह तथा के अवसर पर भी अखबारों में प्रचार किया गया। वर्ष 2010–11 के दौरान इस मद पर .24.75 लाख रू0 की राशि व्यय की गई ।

विभाग में एक लघु पुस्तकालय भी है जिसमें वर्ष 2010–11 के अन्त में 2661 पुस्तकें थी।

24. अमला

महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा के नियन्त्रण में जो योजनाएं हैं, इनके अन्तर्गत मुख्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर अमले की स्थिति को परिशिष्ट–'ख' पर दर्शाया गया है।

25. चौकसी

वर्ष 2010–11 में चौकसी से सम्बन्धित मामलों की रिर्पोट शून्य है।

26. हरियाणा महिला विकास निगम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य में हरयाणा महिला विकास निगम कार्यरत है जोकि महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए संस्थागत वित्त का प्रबंध करती है। जिसकी अधिकरित हिस्सा पंजी 30 करोड़ रू0 है।

(क) सैनेटरी नेपकिन बनाने की योजना

राज्य सरकार द्वारा एक नई पहल के तहत हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से साक्षर महिला समूहों/महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा सभी जिलों में सैनेटरी नेपकिन बनाने के लिए यूनिटों की स्थापना की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र साक्षरता समूह/स्वयं सहायता समूह को निगम द्वारा एक लाख रू0 तक का ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है, जिसकी रिकवरी 5 वर्षो में समान मासिक किस्तों में की जायेगी। यह सैनेटरी नेपकिन सबसीडी प्रदान करते हुए सोशल मार्किटिंग प्रणाली के माध्यम से बेचे जाएगें, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नेपकिन के कुल 2.00/– रू0 मूल्य में से 1.15/–रू0 की सबसीडी प्रदान की जाएगी। निगम द्वारा सैनेटरी नेपकिन की युनिट प्रारम्भ करने के लिए अब तक 127 समूहों को कुल 81.40 लाख रू0 की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ख) बालिका शिक्षा ऋण योजना

राज्य सरकार द्वारा लड़कीयों/महिलाओं के लिए आसान शिक्षा ऋण योजना शुरु की है जो कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत लड़कियों/महिलाओं को देश/विदेश में उच्च शिक्षा जैसे कि ग्रेजुएट/पोस्ट–ग्रेजुएट/ डाक्टरल/पोस्ट डाक्टरल स्तर के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा ऋण प्रदान किये जाते है। जिसमें ब्याज सबसीडी 5 प्रतिशत वार्षिक प्रदान की जाती है। अब तक विभिन्न बैंकों द्वारा 1659 लाभपात्रों को ऋण स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2010–11 में 1.64 करोड़ रू0 की सबसिडी प्रदान की गई

(ग) वुमैन अवेयरनैस एण्ड मैनेजमैन्ट अकादमी –'वामा'

राई (जिला सोनीपत) में आधारभूत महिला कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए वूमैन अवेयरनैस एण्ड मैनजमैंट अकादमी 'वामा' चलाई जा रही है। राज्य सरकार ने इस संस्था को अपग्रेड करके रीजनल लेवल जैण्डर ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट बनाया है जिसमें जैण्डर संवेदनशीलता विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस संस्था द्वारा लगभग 1745 क्षेत्रीय महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया।

27. हरियाणा राज्य महिला आयोग

महिलाओं के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करने तथा उनके समुचित विकास के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 3055–एस0 डब्ल्यू0 (4) 99, दिनांक 20–12–99 के अन्तर्गत राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 4 गैर सरकारी सदस्य, 2 पदैन सदस्य एवं सदस्य सचिव शामिल है। वर्ष 2010–11 में आयोग द्वारा 209 शिकायतों का निपटान किया गया।

28. हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को मुख्यालय स्थापना व्यय का 50 प्रतिशत तथा चेयरमैन के भत्ते, पी.ओ.एल, आदि के व्यय के लिए शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2010–11 में समाज कल्याण बोर्ड को 34.50 लाख रु0 की राशि मुख्यालय स्थापना के लिए तथा चेयरमैन के व्यय के लिए प्रदान की गई।

29. भारत सरकार की सहायक अनुदान योजनाएं

(क) स्वावलम्बन (नोराड)

पहले भारत सरकार स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं को महिलाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण प्रोजेक्ट चलाने के लिए राज्य सरकार की सिफारिश पर सहायक अनुदान प्रदान करती थी। परन्तु भारत सरकार ने यह योजना राज्य सरकारों को अपने संसाधनों से चलाने के लिए दिनांक 1.4.2006 को स्थानान्तरित कर दी गई है। निगम द्वारा 2010–11 में इस राशि को 12 स्वैच्छिक संस्थाओं को जारी किया गया तथा 285 लाभपात्र कवर किये गये।

(ख) स्वाधार

भारत सरकार द्वारा यह योजना कठिन परिस्थितियों में रहने वाली उपेक्षित महिलाओं/बालिकाओं को आश्रय, भोजन, कपड़े जिनके पास कोई सामाजिक व आर्थिक सहायता नहीं हैं, उपलब्ध करवाने उन्हें शिक्षा जागरूकता आदि द्वारा भावनात्मक परामर्श प्रदान करते हुये सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पुर्नवास प्रदान करने व जरूरतमंद महिलाओं, बालिकाओं को कानूनी तथा अन्य समर्थन प्रदान करना तथा उन्हें हैल्प लाईन या अन्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है । वर्तमान में 2 स्वाधार शैल्टर होम चलाये जा रहे हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

| क्र.सं. | संस्था का नाम व पता | लाभपात्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आदर्श ग्रामीण विकास समिति, गुड़गांव | 8 महिलायें + हैल्प लाईन |
| 2. | अखिल भारतीय नवयुवक कला संगम, भिवानी | 16 महिलायें+ 3 बच्चे |

30. विधवा एवं निराक्षित महिलाओं के प्रशिक्षण केन्द्र

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा रोहतक, करनाल व फरीदाबाद में विधवा/निराक्षित महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के लिए गृह एवं प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे है। इन गृहों में नौजवान विधवा महिलाओं तथा ऐसी महिलायें जिनके पति द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया हो तथा उनका कमाऊ पुत्र न हो, न ही कोई पुरूष रिश्तेदार सहायता करने वाला हो को प्रवेश दिया जाता है। ऐसी महिलाओं जिनके पति क्षययोग जैसी भंयकर बीमारी से पीड़ित हों अथवा मानसिक रोग से पीड़ित हो तथा कमाने की स्थिति में नही और उनके परिवार की देखभाल करने वाला कोई न हो को भी प्रवेश दिया जाता है। इन गृहों में संवासियों को आवास, शिक्षण–प्रशिक्षण की सुविधायें मुफ्त प्रदान की जाती है तथा प्रत्येक संवासी को 600/– रू0 प्रतिमास गुजारा भत्ता व 150/– रू0 प्रतिमास प्रति व्यक्ति कपड़ा भत्ता दिया जाता है। अकेली महिला संवासी को प्रतिमास 700/– रू0 गुजारा एवं 150/– रू0 कपड़ा भत्ता दिया जाता है। संवासियों को गृह के अंतर्गत चलाये जा रहे प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह अपनी आमदनी में बढ़ौतरी कर सके। संस्था में रह रही महिलाओं के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की मुफ्त सुविधायें प्रदान की जाती हैं और उनको हर सम्भव प्रोत्साहन दिया जाता है। शादी योग्य लड़कियों की शादी में 15,000/– रू0 सहायक अनुदान

के रूप में दिये जाते है वर्ष 2010–11 के अंत में उपरोक्त संस्थाओं में लाभपात्रों की स्थिति निम्न प्रकार से है:–

| क्र0सं | संस्था का नाम | संवासी | उनके आश्रित | कुल लाभपात्र |
|---|---|---|---|---|
| | महिला आश्रम, रोहतक | 49 | 59 | 108 |
| | महिला आश्रम, करनाल | 37 | 48 | 85 |
| | कस्तूरबा सेवा सदन, फरीदाबाद | 24 | 46 | 70 |
| | कुल संख्या | 110 | 153 | 263 |

वर्ष 2010–11 में इन संस्थाओं पर कुल 150.81 लाख रू0 खर्च हुए।

31. राजकीय उत्तर रक्षा (कन्या) करनाल

इस गृह की स्थापना 1982 में की गई हैं। इस संस्था में 12 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की महिला/लड़कियों को जिन्हें सुधार गृहों से रिहा किया जाता है और उनको नैतिक खतरों से सुरक्षा की आवश्यकता हो या पति/पिता लंबी अवधि के लिये कारागार में हो, को प्रवेश दिया जाता है। इस संस्था में संवासियों को आवास, भोजन, वस्त्र आदि सभी सुविधायें मुफ्त प्रदान की जाती है और उसे समाज का अच्छा नागारिक बनाने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये निम्नलिखित प्रयत्न किये जाते है:–

1. अविवाहित लड़कियों/युवा महिलाओं की योग्य व्यक्तियों के साथ शादी करना।
2. योग्यता अनुसार किसी एक क्षेत्र में प्रशिक्षण दिलवाना।
3. सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार दिलवाना।
4. उनके माता–पिता या संरक्षकों के पास वापिस भेजना आदि।
5. विवाह योग्य संवासी के विवाह के सम 15,000/– रू0 (12,000/– रू0 शादी खर्च व 3000/– रू0 संवासी के नाम सावधि जमा के रूप में) सहायता प्रदान करना।

वर्ष 2010–11 के दौरान 128 संवासियों को प्रवेश दिया गया। संस्था में प्रतिदिन कोर्ट के माध्यम से संवासी प्रवेश/रिहा किये जाते है। वर्ष 2010–11 में इस योजना पर 24.48 लाख रू0 खर्च किये गये है।

————————————

परिशिष्ट– 'ख'

महिला एवं बाल विकास निदेशालय की मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों पर 31–3–2011 को अमले की स्थितिः–

| क्र. सं. | पद का नाम | मुख्यालय | | | क्षेत्रीय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत पद | भरे हुए पद | रिक्त पद | स्वीकृत पद | भरे हुए पद | रिक्त पद |
| | श्रेणी–I | | | | | | |
| 1. | निदेशक, (आई0ए0एस) | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2. | अपर निदेशक | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3. | सयुंक्त निदेशक | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4. | वरिष्ठ लेखा अधिकारी | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | श्रेणी–II | | | | | | |
| 5. | उप निदेशक | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 6. | लेखा अधिकारी | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 7. | प्रचार अधिकारी | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 8. | सहायक जिला न्यायवादी | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 9. | कार्यक्रम अधिकारी | 3 | 3 | - | 20 | 20 | - |
| 10. | पोषाहारिका | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 11. | अधीक्षक | 5 | 5 | - | 21 | 15 | 6 |
| 12. | मैनेजर, पंजीरी प्लांट | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 13. | बाल विकास परियोजना अधिकारी | - | - | - | 137 | 125 | 12 |
| | श्रेणी–III | | | | | | |
| 14. | उप–अधीक्षक | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 15. | अनुभाग अधिकारी | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 16. | निजी सहायक | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 17. | अनुसंधान अधिकारी | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 18. | सहायक प्रभारी | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 19. | आंकडा सहायक | 3 | 3 | - | 138 | 125 | 13 |
| 20. | सहायक/लेखाकार | 30 | 29 | 1 | 162 | 137 | 25 |
| 21. | सुपरवाईजर | - | - | - | 687 | 626 | 61 |
| 22. | तकनिकी सुपरवाईजर | - | - | - | 4 | 4 | - |
| 23. | वस्त्राकार | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
| 24. | बुनकर तकनीकी | - | - | - | 1 | 1 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | बाटा इन्सट्रक्टर | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 26. | अध्यापक सह सुपरवाईजर बी.ए.बी.एण्ड. | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 27. | चमड़ा तकनीकी | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 28. | अध्यापक बी.ए.बी.एण्ड | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 29. | सीनियर स्केल स्टैनोग्राफर | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 30. | जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 31. | स्टैनों टाईपिस्ट | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 8 |
| 32. | चालक | 4 | 4 | - | 133 | 62 | 71 |
| 33. | लिपिक | 25 | 20 | 5 | 179 | 146 | 33 |
| 34. | ग्राम सेविका | - | - | - | 3 | 3 | - |
| 35. | हैड वार्डर | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| 36. | वार्डर | - | - | - | 17 | 13 | 4 |
| 37. | श्रेणी–**IV** | | | | | | |
| 38. | सेवादार | 26 | 21 | 5 | 195 | 166 | 29 |
| 39. | चौकीदार | 1 | 1 | - | 75 | 66 | 9 |
| 40. | स्वीपर–कम–चौकीदार | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 |
| 41. | श्रमिक | - | - | - | 23 | 23 | - |
| 42. | हैल्पर | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 43. | स्वीपर एण्ड सी0डी0 रेट | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 44. | माली | - | - | - | 5 | 4 | 1 |
| 45. | रसोईया | - | - | - | 8 | 1 | 7 |
| 46. | महिला सह सहायक | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
| 47. | पार्ट टाईम मैडीकल ऑफिसर | - | - | - | 3 | 3 | - |

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा का वर्ष 2010–11 का बजट अनुमान, संशोधित बजट एवं वास्तविक व्यय

परिशिष्ट–'क'

; लाख रू0 में

| क्र0सं0 | स्कीम का नाम | बजट अनुमान ;2010–11द्ध | | | | संशोधित बजट ;2010–11द्ध | | | | वास्तविक व्यय ;2010–11द्ध | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्टेट प्लान | सैन्ट्रल प्लान | नॉन प्लान | कुल | स्टेट प्लान | सैन्ट्रल प्लान | नॉन प्लान | कुल | स्टेट प्लान | सैन्ट्रल प्लान | नॉन प्लान | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | निदेशालय अमला एवं आई0टी0प्लान | 10.00 | 0.00 | 261.36 | 271.36 | 5.00 | 0.00 | 297.35 | 302.35 | 3.78 | 0.00 | 310.06 | 313.84 |
| 2. | प्लानिंग–कम–मोनीटरिंग सैल (संचार एवं प्रचार) | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 24.75 |
| 3. | जवाहर बाल भवन | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 4. | समेकित बाल विकास सेवाएं योजना | 900.00 | 14000.00 | 4776.81 | 19676.81 | 900.00 | 13148.60 | 4691.68 | 18740.28 | 1176.01 | 10584.05 | 4368.80 | 16128.86 |
| 5. | समेकित बाल विकास सेवाएं बाल कल्याण | 490.31 | 00.0 | 0.00 | 490.31 | 1324.58 | 0.00 | 0.00 | 1324.58 | 1222.18 | 0.00 | 0.00 | 1222.18 |
| 6. | लाडली | 3865.49 | 0.00 | 0.00 | 3865.49 | 3871.49 | 0.00 | 0.00 | 3871.49 | 4578.76 | 0.00 | 0.00 | 4578.76 |
| 7. | किशोरी शक्ति योजना | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 57.28 | 0.00 | 57.28 |
| 8. | शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 20.45 |
| 9. | ग्रामीण किशोरी कन्याओं को पुरस्कार | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 5.54 |
| 10. | स्वैच्छिक संस्थाओ का सुदृढीकरण–महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र ;स्टाईफैण्डरी स्कीमद्ध | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 82.50 |
| 11. | कामकाजी महिलाओं के लिए | 0.00 | 0.00 | 53.50 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | होस्टल निर्माण | | | | | | | | | | | | |
| 12. | महिला मण्डलों को सुदृढ़ एवं उन्नत बनाना एवं प्रोत्साहन पुरस्कार योजना | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 |
| 13. | जैन्डर संवेदनशील कार्यक्रम | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | महिला विंग का जिला एवं खण्ड स्तरीय अमला | 0.00 | 0.00 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 11.70 |
| 15. | स्वंयसिद्धा योजना | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | स्वाबलम्बन (नोराड) | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को सहायक अनुदान | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 34.50 |
| 18. | हरियाणा महिला विकास निगम (अन्य व्यय) सबसीडी हिस्सापूंजी | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 19. | सबसीडी | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 20. | हिस्सा–पूंजी | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | स्वैच्छिक संस्थाओं के अनुदान बाल ग्राम छछरौली | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.25 |
| 22. | हरियाणा राज्य महिला आयोग | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| 23. | आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना | 700.00 | 1.00 | 0.00 | 701.00 | 700.00 | 1.00 | 0.00 | 701.00 | 654.50 | 0.00 | 0.00 | 654.50 |
| 24. | महिला जागृति एवं प्रबंधक अकादमी, राई को वित्तीय सहायता (वामा, राई) | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 25. | पूरक पोषाहार कार्यक्रम (आई. सी.डी.एस.) | 8695.00 | 8700.00 | 89047 | 17484.47 | 7703.00 | 7703.00 | 90.75 | 15496.75 | 5503.38 | 5503.38 | 102.13 | 11108.89 |
| 26. | किशोरी शक्ति योजना (एस.एन. | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 | 339.00 | 0.00 | 0.00 | 339.00 | 330.54 | 0.00 | 0.00 | 330.54 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पी.) | | | | | | | | | | | | |
| 27. | नए पंजीरी प्लाट की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | आंगनवाड़ी केन्द्र के निर्माण के लिए नावार्ड लोन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | अनाथ बच्चों की देखभाल व सुरक्षा कल्याण | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 95.15 | 95.15 |
| 30 | निदेशालय के लिए भवन निर्माण | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. | अवकाश गृह | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 |
| 32. | एस.ओ.एस. बाल ग्राम राई | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 30.81 | 30.81 |
| 33. | अनाथालय | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 37.81 | 37.81 |
| 34. | घुमन्तू बच्चों का कल्याणा | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 67.42 | 67.42 |
| 35. | बच्चों के कल्याण में लगी संस्थाओं के अनुदान (जे.जे. एक्ट) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 36. | समाज स्वास्थ्य संस्था को स्थापना खर्च इण्डिया आशियाना | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37. | पुस्तकालय, खेल का मैदान तथा शिक्षा सैन्टर आदि। | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| 38. | आई.सी.पी.एस. | 100.00 | 2300.00 | 0.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39. | महिलाओं की घरेलू हिंसा सुरक्षा | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 67.25 | 0.00 | 0.00 | 67.25 |
| 40- | आई.सी.पी.एस. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.00 | 0.00 | 564.00 | 561.16 | 0.00 | 0.00 | 561.16 |
| 41 | राज्य महिला शक्ति करण मिशन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42- | राज्यकीय गांधी किशोरी बालिकाओं सशक्तिकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 3.39 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (सबला) | | | | | | | | | | | | |
| 43- | दूराचार पीड़ितों की संरक्षण वित्तिया सहायता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44- | किशोरी बालिकाओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45- | किशोरी बालिकाओं सशक्तिकरण हेतु के लिए राजीव गांधी योजना | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | आंगनवाड़ी बीमा योजना | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 410.31 | 0.00 | 0.00 | 410.31 |
| 47. | महिला शक्ति सदन | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48. | बेसहारा महिलाओं एवं विधवाओं के लिए गृह एवं ट्रेनिंग सैन्टर की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 110.73 | 110.73 | 0.00 | 0.00 | 122.95 | 122.95 | 0.00 | 0.00 | 122.96 | 122.96 |
| 49. | महिलाओं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सैन्टर की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 |
| 50. | निराक्षित व बेसहारा महिलाओं को नकद अनुदान | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| 51. | भवन एवं निर्माण विभाग द्वारा गृह की मुरम्मत करने बारे | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 52. | राजकीय उत्तर रक्षा गृह, करनाल | 0.00 | 0.00 | 29.23 | 29.23 | 0.00 | 0.00 | 26.68 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 24.48 | 24.48 |
| 53. | युवा लड़कियों, बेसहारा, विधवा औरतों को वोकेशनल ट्रेनिंग व उत्पादन केन्द्र | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 27.17 | 23.12 | 0.00 | 0.00 | 23.12 |
| 54. | जुवैनियल बोर्ड की स्थापना | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2.80 |
| 55. | सबला | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56. | अबजरवेशन होम | 6.00 | 6.00 | 49.55 | 61.55 | 0.00 | 0.00 | 59.87 | 59.87 | 5.97 | 5.97 | 57.84 | 69.78 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | राजकीय उत्तर रक्षा गृह, सोनीपत | 1.50 | 1.50 | 16.85 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 20.38 | 20.38 | 1.50 | 1.50 | 21.28 | 24.28 |
| 58. | स्पेशल होम, सोनीपत | 0.35 | 0.35 | 6.38 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 11.19 | 11.19 | 0.30 | 0.30 | 11.05 | 11.65 |
| 59. | जे.जे.एक्ट के अंतर्गत जुवैलियम होम की स्थपना | 200.00 | 250.00 | 0.00 | 450.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60. | इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61. | स्वैच्छिक संस्थाओं के जुवैनियल/ओबजरवेशन होम की स्थापना | 35.00 | 35.00 | 1.50 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 17.74 | 17.74 |
| 62. | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63. | नवाड लोन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64. | उडीशा (ट्रेनिग) | 12.00 | 374.00 | 0.00 | 386.00 | 12.00 | 374.00 | 0.00 | 386.00 | 12.00 | 186.06 | 0.00 | 198.06 |
| | कुल जोड़ | 16395.00 | 25824.85 | 6012.19 | 48232.04 | 17983.59 | 21616.60 | 5882.63 | 45482.82 | 14871.20 | 16341.93 | 5529.91 | 36743.04 |

## समीक्षा

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की वर्ष 2010–11 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा, राज्य व केन्द्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास की अनेक योजनाएं सीधे तौर पर तथा हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड़, हरियाणा राज्य महिला आयोग एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देकर लागू की गई।

### बजट

वर्ष 2010–11 का विभिन्न योजनाओं एवं शीर्षो के अन्तर्गत मूल बजट 48232.04 लाख रू0 था और संशोधित बजट 45482.82 लाख रू0 रखा गया। विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों पर 36743.04 लाख रू0 की राशि व्यय की गई जिसमें 14871.20 लाख रू0 की राशि स्टेट प्लान 16341.93 लाख रू0 सैन्ट्रल प्लान तथा 5529.91 लाख रू0 नान प्लान शीर्षो के अन्तर्गत थी।

### योजनाएं एवं कार्यक्रम

वर्ष 2010–11 के दौरान महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण, विकास, प्रगति एवं सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम, योजनाएं एवं गतिविधियां लागू की गई :–

1 प्रोत्साहन आधारित योजना ''लाडली'' के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में 4578.76 लाख रू0 की राशि व्यय की गई तथा 129261 परिवारों/बालिकाओं को लाभ प्रदान किया गया। जिसमें गत वर्ष के 105113 लाभपात्र भी शामिल थे।

2. समेकित बाल विकास सेवायें योजना जो कि बाल विकास की सबसे बड़ी योजना है, राज्य में 18 शहरी खण्डों सहित 140 खण्डों मे लागू रही, जिसके अन्तर्गत 21669 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 9.21 लाख 6 मास से 6 वर्ष तक आयु के बच्चों एवं 2.74 लाख गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार एवं अन्य सेवाएं समेकित रुप से प्रदान की गई।

आई.सी.डी.एस कार्यक्रम को समुदायिक तथा विकेन्द्रियकृत कार्यक्रम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज एक्ट 1994 के अंतर्गत 6033 ग्राम स्तरीय समितियो का गठन किया गया। राज्य सरकार द्वारा ग्राम स्तरीय कमेटियों को टिकाऊ बनाये रखने के लिए 118.00 लाख रूपये की राशि जारी की गई।

राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत व इसकी उप समिति को उनके कार्यों के प्रभावी रूप से निषपादन करने में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक गांव में सभी शिक्षित महिलाओं की साक्षर महिला समूह (एस0एम0एस0) नामक रजिर्स्टड स्वैच्छिक संस्था गठित की गई। साक्षर महिला समूह गावं में मुख्य सामाजिक मुद्दे जैसा कि लिंग अनुपात, साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा का सर्वभौमीकरण, स्वास्थ्य तथा पोषाहार शिक्षण, महिलाओं का आर्थिक

सशिक्तकरण, स्वच्छता एवं सफाई, पर्यावरण व सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं/बालिकाओं/बच्चों एवं ग्रामीण समुदाय के विकास की योजनाओं आदि के बारे जागृति पैदा करता है। इस वर्ष में 6279 साक्षर महिला समूह रजिस्र्टड किए गए और 113.30 लाख रू0 की राशि व्यय हुई।

आई.सी.डी.एस.सेवाओं में अनुकरणीय कार्य करने के दृष्टिगत 26 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5000/– रू0 की दर से राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये गए। तीन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नाम भारत सरकार को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भेजे गए।

34636 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व हैल्परों ने भारतीय जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा समूह योजना की 'आंगनवाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना' नामक योजना के अन्तर्गत बीमा करवाया।

आई.सी.डी.एस. योजना के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत 216.36 लाख रूपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों, एक मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र व अन्य प्रशिक्षणों के लिए जारी किए गये।

चालू वर्ष में आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण की योजना लागू रही, जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त उपायुक्तों को 1000 भवनों के निर्माण के लिए कुल 50 करोड़ रु0 की राशि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत जारी की गई।

घटते लिंग अनुपात में सुधार हेतु प्रोहत्साहन पुरस्कार के तहत प्रथम पुरस्कार जिला पानीपत को 5.00 लाख रू0 व द्वितीय पुरस्कार जिला मेवात को 3.00 लाख रू0 और तृतीय पुरस्कार जिला जीन्द को 2.00 लाख रू0 प्रदान किए गए।

पौषण स्तर में सुधार हेतु जिला स्तरीय न्युट्रिशन अवार्ड जिला जीन्द, गुड़गांव तथा कुरूक्षेत्र को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः 2.00 लाख रूपये, 1.00 लाख रूपये तथा 50,000/– रूपये दिया गया।

3. किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए 128 आई. सी. डी. एस. प्रोजैक्टों में किशोरी शक्ति योजना चलाई गई एवं 330.54 लाख रू0 की राशि 65337 लड़कियों को पूरक पोषाहार एवं 65366 लड़कियों को प्रशिक्षण देने पर व्यय हुई ।

4. जरूरतमंद बच्चों की देखभाल कल्याण संरक्षण तथा कानून का उल्लघंन करने वाले बच्चों के लिए राज्य में किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं सरंक्षण अधिनियम 2006 लागू है)

5. ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 'ग्रामीण किशोर बालिकाओं को पुरस्कार' की नई योजना लागू की गई जिसके अन्तर्गत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में ग्रामीण स्कूलों की खण्ड स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली तीन बालिकाओं को क्रमशः 2000/–रु0,1500/–रु0 व 1000/– रु0 प्रोत्साहन पुरस्कार के रुप में दिए गए।

6. राज्य सरकार द्वारा बच्चों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार में सुधार योजना लागू की गई, जिसके अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शिशु एवं छोटे बच्चों को आहार देने के कौशलों एवं ज्ञान से सुसज्जित करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वह माताओं को प्रभावी रूप से जागरूक कर परामर्श दे सके।

7. बच्चों, विशेषकर लड़कियों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने हेतू उनके भली–भांति पालन–पोषण के प्रति माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 'सर्वोत्तम माता पुरस्कार' योजना लागू की गई। वर्ष 2010–11 में योजना के अन्तर्गत 20.39 लाख रू0 की राशि व्यय कर कुल 3438 माताओं को पुरस्कार दिये गए।

8. ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विश्वास निर्माण हेतु खण्ड स्तर पर ग्रामीण महिलाओं को खेल एवं मनोरंजन के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन योजना के अन्तर्गत 29.04 लाख रू0 की राशि आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत व्यय की गई तथा 2919 महिलाओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

9. जैण्डर संवेदनशीलता कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला अध्ययन रिर्स्च केन्द्र कुरूक्षेत्र के माध्यम से तीन मास्टर ट्रैनर ट्रेनिंग कोर्स जिला कुरूक्षेत्र हिसार तथा जीन्द में आयोजित किए गए तथा इन्हीं जिलों में 97 ब्लॉक स्तर पर दों दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया।

10. स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान के रूप में 82.40 लाख रू0 की वित्तीय सहायता, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र चलाने तथा बाल कल्याण गतिविधियां चलाने हेतु प्रदान की गई।

11. राज्य में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू रहा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम को ओर अधिक प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कदम उठाए गए।

12. घरेलू हिसां के विरूद्व सुरक्षा अधिनियम 2005 तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारियों द्वारा 4758 घरेलू हिसां व 186 बाल विवाह से संबंधित शिकायतें दर्ज की गई।

13. विभाग द्वारा महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण महिलाओं में जागृति उत्पन्न करने के लिए कई योजनाएं लागू करके महिला मण्डलों को प्रोत्साहित एवं विकसित किया गया। वर्ष 2010–11 के दौरान महिला मण्डलों को उन्नत एवं सुदृढ़ बनाने और महिला मण्डलों को प्रोत्साहन पुरस्कार तथा अन्तर्राज्जीय अध्ययन दौरो पर 16,80 लाख रू0 व्यय किए गए ।

14. पारिवारिक विवादों को शीघ्र निपटाने के लिए, राज्य सरकार द्वारा फरीदाबाद, गुड़गांव हिसार व भिवानी में चार पारिवारिक न्यायलय चरणबद्व तरीके से स्थापित करने के लिए स्वीकृत किये गये।

15. महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं स्व–रोजगार हेतु संस्थागत वित्त का प्रबन्ध करता है। इस स्कीम के तहत किशोरियों/महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऋण

सबसिडी प्रदान की जाती है। निगम द्वारा लड़कियों/महिलाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आसान ऋण योजना के अंतर्गत 1659 लाभ पात्रों का ऋण प्रदान किया गया।

16. राई सोनीपत में एक राज्य प्रशिक्षण संस्थान जिसे वूमैन एवेयरनैस एण्ड मेनेजमैंट एकादमी ''वामा'' कहा जाता है, को अपग्रेड करके 'क्षेत्रीय स्तरीय जैण्डर प्रशिक्षण संस्थान' चलाया जा रहा है। संस्थान में महिला कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण व जैण्डर संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

17. राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राज्य महिला आयोग स्थापित किया गया है। आयोग द्वारा अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं के कष्टों के निवारण के लिए कदम उठाए गये। 2010–11 में राज्य सरकार द्वारा आयोग को 52.00 लाख रू0 की राशि प्रदान की गई।

18. वर्ष के दौरान हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड को मुख्यालय स्थापना तथा चैयरमैन के भत्तों आदि के व्यय के लिए 34.50 लाख रूपये का सहायक अनुदान जारी किया गया ।

चण्डीगढ़, दिनांक

(पी. राघवेन्द्र राव )
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
महिला एवं बाल विकास विभाग।

## समालोचना

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा महिलाओं, बच्चों और किशोरी बालिकाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु कई कार्यक्रम एवं योजनाएं लागू की गई जिनके अन्तर्गत उनको विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान की गई।

राज्य में घटते लिंगानुपात की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक प्रोत्साहन आधारित योजना (लाडली) प्रारम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत 20–8–2005 को या इसके बाद परिवार में पैदा हुई दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000/–रू0 की राशि 5 वर्ष तक प्रति वर्ष किसान विकास पत्रों' में निवेश की जाती है जो कि 18 वर्ष बाद परिपक्व राशि, लगभग 96000/–रू0 दी जाएगी।

बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 'ग्रामीण किशोर बालिकाओं को पुरस्कार' की योजना लागू की गई।

बच्चों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शिशु एवं छोटे बच्चों को आहार देने के कौशलों एवं ज्ञान से सुसज्जित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया।

'सर्वोत्तम माता पुरस्कार' योजना लागू की गई, जिसके अन्तर्गत माताओं को बच्चों विशेषकर लड़कियों की अच्छी देखभाल करने पर पुरस्कार दिए जाते हैं।

वार्षिक ग्रामीण महिला खेल प्रतियोगिता की योजना ग्रामीण महिलाओं को खेल एवं मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लागू की गई।

पंचों एवं सरपंचों, डाक्टरों/स्वास्थ्य अमले एवं पुलिस कर्मियों को जैण्डर संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

समेकित बाल विकास सेवायें योजना जोकि बाल विकास की सबसे बड़ी योजना है, राज्य में 18 शहरी खण्डों सहित 140 खण्डों में लागू रही, जिसके अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 मास से 6 वर्ष तक आयु के बच्चों एवं गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भित सेवायें, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा एवं अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा की सेवाएं एक पैकेज के रूप में प्रदान की गई।

राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत व इसकी उप समिति को उनके कार्यो के प्रभावी रूप से निस्पादन में आवश्यक सहायता देने के लिए प्रत्येक गांव में समस्त शिक्षित महिलाओं की 'साक्षर महिला समुह' (एस0 एम0 एस0) नामक पंजीकृत स्वैच्छिक संस्था गठित की गई। यह साक्षर महिला समूह गांव में मुख्य सामाजिक मुद्दे जैसा कि लिंग अनुपात, साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा का सर्वभौमीकरण, स्वास्थ्य तथा पोषाहार शिक्षण, महिलाओं का आर्थिक सशिक्तकरण, स्वच्छता एवं सफाई, पर्यावरण व सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं/बालिकाओं/बच्चों एवं ग्रामीण समुदाय के विकास की योजनाओं आदि के बारे जागृति पैदा करते हैं।

आई.सी.डी.एस.सेवाओं में अनुकरणीय कार्य करने के दृष्टिगत 26 चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5000/– रू0 की दर से राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये गए।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व हैल्परों को भारतीय जीवन बीमा निगम की 'आंगनवाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना' नामक योजना के अन्तर्गत बीमा करवाया गया।

आई.सी.डी.एस. योजना के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों एवं एक मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र को फण्डस जारी किए गए।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण की योजना लागू रही, जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त उपायुक्तों को भवनों के निर्माण के लिए राशि राज्य स्तर पर जारी की गई।

लिंग अनुपात तथा पोषण स्तर में सुधार लाने वाले जिलों के लिए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार दिए गए।

किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए 128 आई. सी.डी. एस. प्रोजैक्टों में किशोरी शक्ति योजना चलाई गई। इस योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार एवं विभिन्न विषयों पर जीवन विकास निपुणताओं पर प्रशिक्षण दिया गया।

स्वैच्छिक संस्थाओं को महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं बाल कल्याण गतिविधियां चलाने हेतू सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

राज्य में दहेज प्रतिषेध अधिनियम को ओर अधिक प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कदम उठाए गए।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अर्न्तगत राज्यों में पीड़ितों को आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतू राज्य सरकार द्वारा संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारियों को नियुक्त किया गया व सेवा प्रदाताओं को पंजीकृत किया गया।

सामाजिक बुराईयों जैसा कि दहेज, कन्या भ्रूण हत्या तथा बाल विवाह के प्रति जागृति जागरण की गतिविधियों व विभागीय योजनाओं का प्रचार पोस्टर/पम्फलैट, के द्वारा तथा प्रैस नोट आदि जारी करके किया गया।

हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं के लिए स्व–रोजगार हेतु महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करवाती है। निगम द्वारा ऋण योजना के अंतर्गत साक्षर महिला समूहों को सनैटरी नैपकिन यूनिट शुरू करने तथा लड़कियों/महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध करवाये गये।

चण्डीगढ़, दिनांक

(पी. राघवेन्द्र राव)
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
महिला एवं बाल विकास विभाग।